

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष

आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी,
उन्नाव ।

सदस्य

- 1- सचिव, आवास एवं नगर विकास, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि ।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि ।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि ।
- 4- प्रबन्धक निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश ।
- 5- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक विभाग, उत्तर प्रदेश ।
- 6- प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपालिका, उन्नाव ।

आमुख

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत दो नगरीय क्षेत्र हैं—उन्नाव एवं शुक्लागंज (गंगाघाट) 1 उन्नाव एक मध्यकालीन नगर है जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक एक छोटी बस्ती के रूप में था। सन् 1884 में यहाँ नगरपालिका की स्थापना हुई। शुक्लागंज (गंगाघाट) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार टाउन एरिया घोषित किया गया।

उन्नाव नगर में पिछले दशक में तीव्र जनसंख्या वृद्धि (98.9%) तथा भौतिक विकास हुआ। इसके दो प्रत्यक्ष कारण हैं—औद्योगिक विकास तथा नगरीय सीमा में ग्रामीण अंचल का समावेश परन्तु यह विकास असंतुलित तथा अनियोजित रूप में हुआ। जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में नगरीय सुविधायें नगण्य होती गईं। यही स्थिति शुक्लागंज क्षेत्र में है, जहाँ की जनसंख्या वृद्धि (274.9 प्रतिशत) इससे भी अधिक रही है। किसी प्रभावशाली नियंत्रण के अभाव में विकास अनियमित रूप में होता चला आया जिसका निराकरण केवल नियोजित विकास द्वारा ही सम्भव है।

इसी उद्देश्य से उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन आवास अनुभाग—2 की अधिसूचना संख्या 4347/37-2-97—डी० ए०—81 लखनऊ दिनांक 7-12-83 द्वारा की गई तथा इसकी प्रथम बैठक दिनांक 7-1-84 में उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये जाने का निर्णय लिया गया तदनुसार उन्नाव-शुक्लागंज क्षेत्र के लिये एक दीर्घकालीन महायोजना (वर्ष 2001) बनाई जो सम्पूर्ण विकास क्षेत्र पर लागू होगी। आवास, वाणिज्य, उद्योग, सामुदायिक सुविधायें तथा स्वास्थ्य, मनोरंजन हेतु खुले क्षेत्र आदि का प्राविधान इस महायोजना में किया गया है।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की दिनांक 13-12-85 की बैठक में उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना (प्रारूप) प्रस्तुत किया गया तथा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक में महायोजना (प्रारूप) पर जनता से प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझावों की सुनवाई हेतु उपसमिति के गठन पर विचार किया गया तथा इस हेतु जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में समिति गठित करने की संस्तुति शासन को प्रेषित की गई। उत्तर प्रदेश शासन के आवास अनुभाग—3 ने अपने आदेश संख्या 316/37-3-6 महा/86 दिनांक 18-2-86 द्वारा महायोजना पर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझावों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित उपसमिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की।

- | | |
|--|---------|
| 1—जिलाधिकारी उन्नाव | अध्यक्ष |
| 2—अधिशासी अभियंता, सा० नि० वि० | सदस्य |
| 3—सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ | सदस्य |
| 4—सचिव, विकास प्राधिकरण | सदस्य |

प्रारूप महायोजना पर जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु महायोजना का प्रदर्शन दिनांक 15. 1. 86 से 13. 2. 86 तक कार्यालय, विकास प्राधिकरण, उन्नाव-शुक्लागंज उन्नाव में विधिवत् किया गया तथा प्राप्त 296 आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई दिनांक 5 व 6 जून 1986 को की गई। आपत्तिकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सुना गया तथा प्रत्येक आपत्ति सुझाव पर समिति ने अपनी संस्तुति तैयार की।

तत्पश्चात् उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप महायोजना पर प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों से संबंधित विवरण सुनवाई समिति की संस्तुतियों सहित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तकनीकी आख्या/संस्तुति हेतु प्रेषित किए गए। दिनांक 2 एवं 3 सितम्बर, 1987 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आपत्तियों एवं सुझावों से संबंधित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया गया और स्थल पर विद्यमान वर्तमान विकास/निर्माण की स्थिति को सत्यापित किया। इसके अतिरिक्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अधिकांश आपत्तियों से संबंधित तीन स्थलों सिविल लाइन्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा ट्रक टर्मिनस एवं ट्रांसपोर्ट नगर का भौतिक सर्वेक्षण अगस्त-सितम्बर 1987 में सम्पन्न कराया गया। भौतिक सर्वेक्षण तथा स्थल निरीक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रारूप महायोजना को अंतिम रूप दिया गया और विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27. 1. 1988 में शासकीय स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया गया। महायोजना को शासन द्वारा शासनादेश संख्या 719/37-3-6 महा०/86 दिनांक 3 जून 1988 द्वारा अनुमोदित किया गया।

महायोजना-दल

श्री जगदीश प्रसाद भार्गव
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
श्री रवीन्द्र सिंह
अधिशासी अभियंता
श्री अचिन्त्य कुमार चौधरी
श्री उमेश शेषवानी
श्री ओंकार नाथ गुप्ता
श्री प्रमोद शंकर शुक्ला
श्री गिरजा शंकर बाजपेई
श्री सुधांशु कुमार मिश्रा
श्री राम प्रगट शुक्ला
श्री ब्रिजेन्द्र सिंह
श्री इफितखार हुसैन काजमी
श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी
श्री देव नाथ सिंह
श्री मुकेश चन्द्र गौड़
कु० स्नेह लता मिश्रा
श्री केदार नाथ शुक्ला
श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला
श्री निहाल अहमद
श्री राम स्वरूप
श्री चन्द्रिका प्रसाद बाजपेई

श्री सत्य वीर सिंह दलाल
सहयुक्त नियोजक
कु० नीति द्विवेदी
सहायक नियोजक
आर्च-क्रम प्लानिंग असिस्टेन्ट
सांख्यकीय सहायक
सांख्यकीय सहायक
सर्वेक्षण सहायक
सर्वेक्षण सहायक
सर्वेक्षण सहायक
सर्वेक्षण सहायक
मुख्यमान चित्रकार
मुख्यमान चित्रकार
अर्हमान चित्रकार
अर्हमान चित्रकार
अर्हमान चित्रकार
आशुलिपिक
सहायक लेखाकार
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ लिपिक
टंकक
नीलमुद्रक

क्षेत्रीय स्थिति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उन्नाव की गंगाघाट नगरीय क्षेत्र $80^{\circ}23^1$ से $80^{\circ}35^1$ पूर्वी देशान्तर तथा $26^{\circ}28^1$ से $26^{\circ}35^1$ उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थिति है। अधिसूचना संख्या 4347/37-2-97-डी० ए० 81, दिनांक 7 दिसम्बर 1983 द्वारा उन्नाव-गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों तथा इसके समीपवर्ती 44 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट ऐक्ट 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र घोषित किया गया [परिशिष्ट संख्या-III]

इस विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उन्नाव-गंगाघाट दो नगरीय क्षेत्र आते हैं। उन्नाव नगर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 तथा प्रान्तीय मार्ग संख्या 38 पर स्थित है जबकि गंगाघाट गंगा नदी के बायें तट पर कानपुर महानगर के उप नगर के रूपमें विगत वर्षों में विकसित हुआ है। लखनऊ-कानपुर रेल मार्ग भी इन दोनों नगरों से होकर जाता है। उन्नाव नगर कानपुर से 12 किलोमीटर तथा लखनऊ से 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटवर्ती अन्य जिला मुख्यालयों जैसे हरदोई तथा रायबरेली से उन्नाव नगर की दूरी क्रमशः 120 तथा 97 किलोमीटर है। इस प्रकार रेल तथा रोड द्वारा उन्नाव तथा गंगाघाट नगर केन्द्र उत्तरी भारत के प्रमुख केन्द्रों से सुसम्बद्ध है।

उन्नाव एक मध्यकालीन नगर है जिसका प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक उन्नाव एक छोटी बस्ती के रूप में था। सन् 1884 में उन्नाव नगर पालिका की स्थापना हुयी थी। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कानपुर से गंगाघाट - उन्नाव होते हुए रायबरेली तक बड़ी रेल लाइन बिछाई गयी। तत्पश्चात् 1928 में बालामऊ का संबंध कानपुर से उन्नाव-गंगाघाट होते हुए बड़ी रेल लाइन द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रकार नगर के ऐतिहासिक विकास के निर्दिष्ट चरण निम्नलिखित हैं :-

- 1- 19वीं शताब्दी के अंत तक उन्नाव नगर का दक्षिणी भाग एवं सिविल लाइन्स क्षेत्र विकसित हुआ।
- 2- 20वीं शताब्दी की प्रथम दो दशाब्दियों में बाढ़ एवं महामारी के कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या में ह्रास हुआ।
- 3- दशक 1971-81 में प्रथम बार गंगाघाट नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया।
- 4- 2मार्च 1979 को उन्नाव नगर पालिका सीमा का विस्तार किया गया फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि [98.93%] हुई।

निरंतर जनसंख्या वृद्धि एवं अनियमित विकास के कारण उत्पन्न हुयी समस्याओं के निराकरण हेतु तथा भावी विकास को व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता के फलस्वरूप उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र उ० प्र० शासन द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर 1983 को घोषित किया गया।

विकास क्षेत्र के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० को उन्नाव-शुक्ला गंज विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार करने का कार्य प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 7-1-84 के द्वारा सौंपा गया। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि शुक्लागंज महायोजना प्रारूप पूर्ण कर कानपुर विकास प्राधिकरण को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका था तथा उन्नाव-महायोजना का कार्य प्रगति पर था। शासन

द्वारा उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में दोनों नगरीय क्षेत्रों की सम्मिलित महायोजना बनाना अनिवार्य हो गया तथा इसी क्रम में विभाग के लखनऊ संभागीय नियोजन खण्ड द्वारा वर्ष 1979 में किये गये भौतिक भू-उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना तैयार की गयी।

2. जनसंख्या

वर्ष 1971 की जनगणना के समय वर्तमान उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र में मात्र उन्नाव नगर ही नगरीय क्षेत्र था तथा शेष ग्रामीण इकाइयां थीं। वर्ष 1971 में उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र में कुल 98,801 व्यक्ति थे जिसमें से 60,606 [61.34%] ग्रामीण क्षेत्र में तथा 38,195 [38.66%] नगर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर विकास क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 15,935.45 हेक्टेयर में से 15,370.45 हेक्टेयर ग्रामीण तथा 565 हेक्टेयर नगरीय था जिसके आधार पर नगरीय जनसंख्या का घनत्व 67.6 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में उन्नाव एवं गंगाघाट दो नगरीय क्षेत्र हैं तथा शेष ग्रामीण क्षेत्र है जिनकी जनसंख्या क्रमशः 75,983 26,050 तथा 54,248 है। इस प्रकार विकास क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,56,281 है जिसमें से 1,02,033 [65.29%] नगरीय है। नगरीय सीमा का विस्तार वर्ष 1979 में किया गया तथा नगर के समीपवर्ती आठ ग्रामों इब्राहीमाबाद, गगनखेड़ा, उन्नाव [ग्रामीण] शेखपुर सिंगरौसी अकरमपुर, वाजिदपुर उर्फ राजेपुर एवं हुसेन नगर का आंशिक क्षेत्रफल नगरपालिका सीमा में सम्मिलित कर लिया गया।

दशक 1971-81 में जनसंख्या वृद्धि दर यदि उन्नाव नगरीय क्षेत्र तथा संपूर्ण विकास क्षेत्र की जनसंख्या पर जांची जायें तो क्रमशः 98.93 तथा 58.18 प्रतिशत है। वर्ष 1981 की जनसंख्या के आधार पर उन्नाव नगरीय क्षेत्र गंगाघाट नगरीय क्षेत्र एवं कुल विकास क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जांचा जायें तो वह क्रमशः 49.53 तथा 10 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर थी। उन्नाव नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व वर्ष 1971 में 67.60 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो वर्ष 1981 में घटकर 49 व्यक्ति हेक्टेयर हो गया है। इसका प्रमुख कारण उन्नाव नगरपालिका की सीमा में समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का सम्मिलित किया जाना है। उन्नाव-गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों की वर्ष 1951-81 की दशकांतर जनसंख्या वृद्धि दर तालिका संख्या-1 में दर्शायी गयी है :-

तालिका संख्या-1

उन्नाव-गंगाघाट नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं विकास क्षेत्र की जनसंख्या एवं वृद्धि दर 1951-1981

क्रम सं० वर्ष	उन्नाव		गंगाघाट		योग नगरीय क्षेत्र		ग्रामीण		विकास क्षेत्र का योग	
	दशकांतर प्रतिशत		जनसंख्या		प्रतिशत		प्रतिशत		दशकांतर प्रतिशत	
	वृद्धि	वृद्धि	जनसंख्या	जनसंख्या	जनसंख्या	वृद्धि	जनसंख्या	वृद्धि	जनसंख्या	वृद्धि
1- 1951	-	-	-	25,240	-	-	-	-	-	-
2- 1961	4,540	17.99	-	29,780	17.99	43,499	-	73,279	-	-
3- 1971	8,415	28.26	-	38,195	28.26	60,606	39.33	98,801	25,522	34.83
4- 1981	37,788	98.93	26,050	1,02,033	167.14	54,248	11.72	1,56,281	57,480	58.18

स्रोत 1- जिला जनगणना पुस्तिका 10-वीं वर्ष 1971

2- प्रारम्भिक आंकड़े वर्ष 1981

उपरोक्त तालिका संख्या—1 से स्पष्ट है कि उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र की नगरीय जनसंख्या में पिछले दो दशकों में तीन गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण दशक 1971—81 में अनेक ग्रामों को उन्नाव नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाना तथा गंगाघाट के क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाना है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी हुई है जिसके फलस्वरूप अन्तर्गमन हुआ तथा इस प्रकार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो गई है।

2. आर्थिक आधार

वर्ष 1971 एवं 1981 की जनगणना के अनुसार श्रम शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 2 में किया गया है।

तालिका संख्या—2

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र-श्रम शक्ति वर्ष 1971—1981

क्षेत्र का नाम	1971			1981		
	जनसंख्या	श्रमशक्ति	श्रमशक्ति प्रतिशत	जनसंख्या	श्रमशक्ति	श्रमशक्ति प्रतिशत
उन्नाव नगरीय क्षेत्र	38,195	9,420	24.66	75,983	20,059	26.39
गंगाघाट नगरीय क्षेत्र	—	—	—	26,050	7,074	27.16
ग्रामीण क्षेत्र	60,606	21,470	35.43	54,248	17,056	31.44
योग	98,801	30,890	31.36	1,56,281	44,189	28.28

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उन्नाव नगर में वर्ष 1971 में श्रम शक्ति का प्रतिशत 24.66 था जो बढ़कर वर्ष 1981 में 26.39 हो गया जब कि कुल विकास क्षेत्र में शक्ति के योगदान में वर्ष 1981 में कमी आयी है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार श्रम शक्ति के वर्गीकरण में भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाने के कारण वर्ष 1971 की श्रम शक्ति के वर्गीकरण से तुलना करना संभव नहीं है।

2.1 व्यापार एवं वाणिज्य

क्षेत्रीय स्तर पर उन्नाव नगर व्यावसायिक रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर नगर में व्यापार एवं वाणिज्य के अन्तर्गत कुल 18.94 प्रतिशत [1878 व्यक्ति] श्रम शक्ति है। इस नगरीय क्षेत्र की प्रदेश के अन्य समान आकार वाले नगरों की इस वर्ग में लगी श्रम शक्ति के प्रतिशत की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि शाहजहांपुर में 17 प्रतिशत, बहराइच में 20 प्रतिशत, एटा में 20 प्रतिशत तथा हाथरस में 19 प्रतिशत श्रमशक्ति थी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के लखनऊ संभागीय नियोजन खण्ड द्वारा किये गये भू-प्रयोग सर्वेक्षण के आधार पर उन्नाव तथा गंगाघाट में क्रमशः 8.1 तथा 2.4 हेक्टेयर भूमि व्यापार एवं वाणिज्य उपयोग में है जो कि इन नगरों के वर्तमान विकसित क्षेत्रों का क्रमशः 1.3 तथा 2.9 प्रतिशत मात्र है। उन्नाव नगर में मुख्यतया पुराना बाजार तथा कैसरगंज दो व्यावसायिक केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय

मार्ग संख्या 25 पर दोनों ओर पट्टीनुमा दुकानों का निर्माण हुआ है। ये सभी व्यावसायिक केन्द्र नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 8.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित हैं।

गंगाघाट के नगरीय विकास में भंडारण एवं गोदामों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो यहाँ की वाणिज्य एवं व्यवसायिक क्रियाओं का आधार है। इसके अन्तर्गत देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे फिलिप्स, जी० ई० सी०, ब्लू स्टार, युनियन कारवाइड, टाटा स्टील आदि के उत्पादित माल के भण्डारण हेतु गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त सहायक क्रियाओं के रूप में नगर में ट्रांसपोर्ट एजेन्सियाँ हैं। इन एजेन्सियों का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। इन क्रियाओं के अन्तर्गत क्रमशः 1.2 एकड़ तथा 3.5 एकड़ भूमि है।

2.2 उद्योग

वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर उन्नाव नगर में 1547 व्यक्ति तथा विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 3483 व्यक्ति उद्योगों में लगे हुए थे जिनका कुल श्रम शक्ति में प्रतिशत क्रमशः 16.42 तथा 10.50 है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 पर उन्नाव गंगाघाट नगर केन्द्रों का पट्टीनुमा विकास हुआ है। उन्नाव नगर क्षेत्र के उत्तर-पूर्व नगर सीमा के बाहर समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र तथा उन्नाव एवं गंगाघाट के मध्यवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय मार्ग को आधार लेकर बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है जबकि विकास क्षेत्र के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नगण्य है। उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र में 5030 [11.8%] व्यक्ति उद्योगों में कार्यरत हैं।

उन्नाव नगर में वर्ष 1961-80 के मध्य औद्योगिक विकास की दर 300% अंकित की गयी। वर्ष 1961 के पूर्व उन्नाव नगर में कुल 6 इकाइयाँ थीं जो वर्ष 1980 में बढ़कर 24 हो गयीं। कुल कार्यरत व्यक्तियों की दृष्टि से चर्म, खाद्य एवं पेय तथा रासायनिक उत्पादन उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसमें क्रमशः 343,170 एवं 94 व्यक्ति कार्यरत हैं। जमजम चर्म उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 253 है जो नगर की किसी भी इकाई से सर्वाधिक है।

2.2.1 अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र—

अकरमपुर-औद्योगिक क्षेत्र एक स्वरित विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत 16.06 एकड़ क्षेत्र में उद्योग विभाग के अधीन एक औद्योगिक आस्थान विकसित हुआ है किन्तु इसके अतिरिक्त इस आस्थान के सन्निकट एक बृहत् क्षेत्र में निजी उद्योग विकसित हुए हैं। औद्योगिक आस्थान में कुल विकसित एवं आवंटित 54 भूखण्ड तथा 11 शेड है। इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं यथा जौहर पेन्ट, मेटाएलाय, नाथ चश्मा उद्योग, इसके-मोलिया उद्योग, आदि प्रमुख हैं। शेष भूखण्ड तथा शेड निर्माणाधीन है। औद्योगिक आस्थान के अतिरिक्त अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें से कैम्पा कोला फैक्टरी, मिर्जा टेनरी, डुअर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं कुमार उलेन फैक्टरी प्रमुख हैं।

2.2.2 टीकर गढ़ी झंझरी औद्योगिक क्षेत्र—

वर्ष 1970-75 के मध्य 317 एकड़ का एक औद्योगिक क्षेत्र ग्राम टीकरगढ़ी, झंझरी, चांदपुर और गजौली के मध्य विकसित हुआ है जिसमें लगभग 424 भूखण्ड उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किये गये हैं।

शुक्लागंज क्षेत्र में कोई विशेष औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। केवल कुछ छोटे-छोटे गृह उद्योग स्तर के उद्योग निजी क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं। उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादनों में मुख्यतया खाद्य एवं पेय पदार्थ उत्पादन, तम्बाकू, रासायनिक उत्पादन, चर्म उत्पादन तथा छपाई एवं मुद्रण उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यहां की अधिकांश औद्योगिक इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं।

तालिका संख्या-3 एवं 4 में नगर एवं समीपवर्ती क्षेत्र में विकसित औद्योगिक इकाइयों का विकास श्रम शक्ति तथा स्वामित्व के प्रकार दर्शाये गये हैं :-

तालिका संख्या-3

औद्योगिक इकाइयां विकास दर-उन्नाव एवं संबंधित क्षेत्र-1980

क्षेत्र	औद्योगिक इकाइयों की संख्या					स्वामित्व के प्रकार					
	1961 से पूर्व	1961-65	1966-70	1971-75	1975-80	सार्वजनिक	निजी	निजी साझे-योग	प्रतिशत	लि० दारी में	
उन्नाव	6	8	14	17	24	1	14	2	7	24	42.9
अकरमपुर	—	1	2	3	7	—	—	4	3	7	12.5
टीकर गढ़ी	—	—	—	5	23	—	5	8	10	23	41.0
झंझरी क्षेत्र											
अन्य	—	1	1	1	2	—	—	—	2	2	3.6
योग	6	10	17	26	56	1	19	14	22	56	100.0

तालिका संख्या-4

औद्योगिक इकाइयों में श्रम शक्ति 1980

क्षेत्र	वर्तमान श्रम शक्ति		वृद्धि [प्रतिशत में]
	प्रारम्भिक सं० 1975	1980	
उन्नाव नगर	392	909	131.90
अकरमपुर	14	222	1487.70
टीकर गढ़ी-झंझरी	113	367	224.80
अन्य	13	33	153.80
योग	532	1531	187.80

उपरोक्त तालिका संख्या—3 से स्पष्ट है कि उन्नाव नगर, अकरमपुर एवं टीकरगढ़ी औद्योगिक क्षेत्रों में वर्ष 1975 तक 26 औद्योगिक इकाइयां थीं जो अब 56 हो गई हैं। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों की संख्या में दो गुने से अधिक की वृद्धि हुई है।

तालिका संख्या—4 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1975 में संपूर्ण विकास क्षेत्र में 532 औद्योगिक श्रम शक्ति थी जो 1980 में बढ़कर 1531 हो गयी। इस प्रकार इस अवधि में श्रम शक्ति में 187.80 प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु इसके विपरीत अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में संपूर्ण विकास क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक श्रम शक्ति में वृद्धि मुख्य-तया सर्वाधिक रही। इस अवधि में अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 1487.70 प्रतिशत थी।

3. आवास

उन्नाव नगर में वर्ष 1980 के भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 255.00 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग में थी। वर्ष 1981 में कुल परिवारों की संख्या 13,311 तथा आवास गृहों की संख्या 11,770 थी। इस प्रकार मात्रा-त्मक रूप से 1541 आवास गृहों की कमी थी।

वर्तमान आवास गृहों में यदि 10 प्रतिशत आवासों को अनुपयुक्त मान लिया जाये तो 1177 अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की कमी होती है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 2718 आवासों की कमी थी।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर 5,045 आवासीय इकाइयां थीं जिसमें 5,391 परिवार निवास कर रहे थे। इस प्रकार 346 आवास गृहों की कमी थी। वर्तमान आवासीय गृहों में यदि 10 प्रतिशत आवासों को रहने के अयोग्य मान लिया जाये तो 504 आवासीय गृहों की अतिरिक्त कमी का बोध होता है। इस आधार पर कुल 850 आवासीय गृहों की कमी थी।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र की ग्रामीण आवास समस्या की वर्ष 1981 में यह स्थिति थी कि 10,187 परिवारों के लिए मात्र 9,708 आवास गृह उपलब्ध थे अर्थात् मात्रात्मक कमी 478 आवास गृहों की थी। ग्रामीण स्थिति को ध्यान में रखते हुए 25 प्रतिशत आवास गृह आवास के अनुपयुक्त मान लें तो 2,427 आवासीय गृहों की अतिरिक्त कमी आती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में कुल 2,906 आवासीय इकाइयों की कमी थी। निम्न तालिका संख्या-5 में वर्ष 1981 की आवासीय स्थिति स्पष्ट की गयी है।

तालिका संख्या—5

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में परिवारों की संख्या, आवासीय इकाइयों की संख्या तथा उनकी कमी—1981

क्रम सं०	क्षेत्र	परिवारों की संख्या	आवासीय इकाइयों की कमी			वर्तमान कुल कमी
			आवासीय इकाइयाँ	मात्रात्मक कमी	वर्तमान आवासों में अनुपयुक्त आवासों की सं०	
1—	उन्नाव	13,311	11,770	1,541	1,177 (10%)	2,718
2—	गंगाघाट	5391	5,045	346	504 (10%)	850
3—	ग्रामीण	10,187	9,708	479	2,427 (25%)	2,906
	योग	28,889	26,523	2,366	4,108	6,474

4. सामुदायिक सुविधायें

सामुदायिक सुविधाओं से तात्पर्य उन सुविधाओं से है जो सामान्य सामाजिक जीवन के लिए परम आवश्यक होती है। इनमें शिक्षा, चिकित्सा एवं आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधायें मुख्य हैं।

4.1 शिक्षा

वर्ष 1980 में सम्भागीय नियोजन खण्ड लखनऊ द्वारा सम्पन्न किये गये भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षा सुविधा के अन्तर्गत उन्नाव नगर में लगभग 20.0 हेक्टेयर भूमि थी जो कुल विकसित क्षेत्र की 3.2% थी। नगर में 88 शिक्षण संस्थायें थी जिनमें 8 नर्सरी, 53 जूनियर बेसिक, 13 सीनियर बेसिक, 3 हाई स्कूल, 7 हायर सेकेण्ड्री 2 डिग्री कालेज, 1 बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सम्मिलित थे। इन संस्थाओं में कुल 20,838 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे जिसमें से लगभग 28 प्रतिशत विद्यार्थी [अर्थात् 5,770] बाह्य क्षेत्रों से आते थे।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1980 में 23 प्राइमरी स्कूल, 17 जूनियर हाई स्कूल तथा 3 हाई स्कूल थे। इन विद्यालयों में लगभग 6,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। नगर के लगभग 20 प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षार्जन के लिए कानपुर महानगर पर आश्रित थे।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में 12 ग्रामों में किसी प्रकार की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है, 24 ग्रामों में प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध है तथा 4 ग्रामों में प्रत्येक में 2 प्राइमरी स्कूल उपलब्ध हैं। पांच ग्रामों में मिडिल स्कूल हैं जिसमें बन्धर में दो मिडिल स्कूल हैं ग्राम बन्धर एवं रब्बाजगीपुर में हाई स्कूल है। इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा सुविधा की पूर्ति इस नगरीय क्षेत्र में स्थित संस्थाओं द्वारा होती है।

4.2 चिकित्सा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आधारभूत सामुदायिक सुविधाओं में प्रमुख स्थान रखती है। उन्नाव नगर में कुल 9 चिकित्सा केन्द्र हैं जिनमें विशिष्ट सुविधाओं सहित 4 चिकित्सालय, 2 औषधालय, 2 क्लीनिक तथा एक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है। आन्तरिक एवं ब्राह्म्य चिकित्सा हेतु आने वाले रोगियों की औसत संख्या क्रमशः 147 एवं 1218 है। इस उपयोग के अन्तर्गत 8 हेक्टेयर भूमि है जो कुल विकसित क्षेत्र का 1.3 प्रतिशत है।

नगर में एक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष एवं महिला) रायबरेली मार्ग पर नव निर्मित भवन में स्थित है जिसमें कुल 330 शैयायें हैं। नगर में एक यही मात्र प्रधान चिकित्सालय है जो सामान्य जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार यह तथ्य प्रकाश में आता है कि नगर में प्रति हजार जनसंख्या पर 4 शैयायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जेल एवं पुलिस कर्मियों के एक-एक निबंधित चिकित्सालय भी हैं जिनमें कुल शैयाओं की संख्या 55 है। लाल बहादुर शास्त्री नेत्र चिकित्सालय 10 शैयाओं से युक्त नगर में एक विशिष्ट चिकित्सालय है। दो औषधालयों डा० एस० आई० एवं भूरी निजी क्षेत्र में डा० पी० एन० एस० क्लीनिक एवं चौधरी नर्सिंग होम भी अपनी सेवायें प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें 15 शैयायें उपलब्ध हैं।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में केवल एक छोटा-सा औषधालय है जिसमें चार शैयायें उपलब्ध हैं। यह औषधालय एक छोटा चिकित्सालय मात्र है जिसमें एक परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है। 3 शैया प्रति 1000 व्यक्तियों की मानक के आधार पर नगर में 78 शैयाओं की आवश्यकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नगर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का पूर्णतया अभाव है।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, 4 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, 3 परिवार कल्याण तथा 3 चिकित्सा केन्द्र हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या को चिकित्सा सुविधा हेतु उन्नाव नगर पर निर्भर रहना पड़ता है जबकि गंगाघाट नगरीय क्षेत्र मुख्यतया कानपुर महानगर पर आश्रित है।

4.3 अन्य सुविधायें एवं सेवायें

4. 3.1 मनोरंजन सुविधायें

उन्नाव नगर में वर्तमान समय में मनोरंजन सुविधायें अत्यधिक अपर्याप्त हैं। यहाँ नगर के पूर्व में लखनऊ-कानपुर मार्ग पर एक छोटा स्टेडियम है जिसमें बाहरी चहरदीवारी मात्र बनी है तथा बैठने की व्यवस्था पूर्णतया अस्थायी तौर पर समयानुसार की जाती है। उसके अतिरिक्त नगर में 7 उद्यान हैं जिनमें एक निराला उद्यान व्यवस्थित स्थिति में है। ये समस्त उद्यान लगभग 50.5 हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। उसके अतिरिक्त नगर में तीन चलचित्र गृह तथा दो पुस्तकालय उपलब्ध हैं। 30,000 जनसंख्या पर एक चलचित्र गृह के मानक के आधार पर नगर की 75,983 जनसंख्या के लिए ही यह सुविधा पर्याप्त है परन्तु इस पर समीप की ग्रामीण जनसंख्या के भार को देखते हुए यह अपर्याप्त है। इसी प्रकार पुस्तकालयों की स्थिति को देखते हुए उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या का भी नगरीय सुविधाओं पर दबाव अधिक है इन सुविधाओं को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। यहाँ केवल एक चलचित्र गृह मात्र है जिसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है।

विकास क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में तो किसी भी प्रकार की मनोरंजन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र के नागरिकों को अपने-अपने सामान्य मनोरंजन सुविधाओं के लिये उन्नाव नगरीय क्षेत्र अथवा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है।

4. 3.2 अग्निशमन सुविधायें

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में एक अग्निशमन केन्द्र है। अधिक आवश्यकता पड़ने पर कानपुर स्थित अग्निशमन सेवाओं पर निर्भर होना पड़ता है।

4. 3.3 डाक व तारघर

उन्नाव नगर में वर्ष 1979 में 12 संचार इकाइयां थीं। इनमें मुख्य डाकघर, 2 डाक एवं तारघर, एक दूरभाष केन्द्र, 6 शाखा एवं उप डाकघर तथा दो सार्वजनिक टेलीफोन बूथ थे। नगर में लगभग 400 दूरभाष कनेक्शन दिये गये थे।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में केवल 1 उप डाकघर है जो 18,000 जनसंख्या प्रति उप डाकघर के मानक के आधार पर 26,050 जनसंख्या के लिये अपर्याप्त है।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संचार सुविधा को कुछ सीमा तक पर्याप्त कहा जा सकता है। मगरवारा में दूरभाष केन्द्र की सुविधायें विद्यमान हैं तथा एक डाकघर व तारघर उपलब्ध हैं। कुल 10 ग्रामीण इकाइयां मुर्तजा नगर, मगरवारा, मसवासी, शेखपुर नरी, बन्थर, मझरा पीपर खेड़ा, एहत-माली मौनी, सहजनी, नेतुआ, रव्वाजगीपुर में एक-एक शाखा डाकघर उपलब्ध है।

4. 3.4 कानून-व्यवस्था सुविधायें

उन्नाव नगर में कानून व्यवस्था की सुविधाओं के लिए एक पुलिस थाना तथा दो पुलिस चौकियां हैं। गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में एक थाना है तथा मगरवारा में एक पुलिस चौकी है।

5. जल सम्पूर्ति

उन्नाव नगर में पेयजल की सम्पूर्ति वर्ष 1927 में प्रारम्भ हुई थी। वर्तमान समय में नगर में कुल 12 नल-कूप हैं। वर्ष 82-83 में संयोजनों (कनेक्शनों) की संख्या 2,846 थी जिनमें 2,751 घरेलू तथा 95 अन्य संयोजन थे। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता के लिये नगर में 157 जल स्तम्भ हैं। जल सम्पूर्ति का समय प्रातः 4 बजे से 12 बजे तक एवं सायं 4 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन कुल 13 घंटे है। अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश, जल निगम, उन्नाव के अनुसार वर्ष 83 में 58.4 प्रतिशत जनता इस सेवा से लाभान्वित हो रही थी तथा जल सम्पूर्ति प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40.8 लीटर की दर से थी जो 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सामान्य मानक से बहुत कम है।

विकास क्षेत्र के गंगाघाट नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कोई वांछित व्यवस्था नहीं है। नगरीय क्षेत्र में लगभग 28.7% परिवारों के पास अपने निजी हैण्ड पम्प है तथा शेष कुओं अथवा अन्य स्रोतों पर निर्भर है।

6. मल निस्तारण

उन्नाव नगर में मल निस्तारण की योजना वर्ष 1934 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत एक छोटे से क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाई गयी थी तथा एक सलेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का प्राविधान किया गया था। वर्ष 1985 में इस योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। नगर में केवल चार किलो मीटर ट्रंक सीवर तथा एक किमी० ब्रांच सीवर की लाइन बिछी है। परन्तु इसकी सेवार्थें सन्तोषजनक नहीं हैं। नगर में लगभग 30 हेक्टेयर का एक सीवेज फार्म है।

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र के शेष भाग में मल निस्तारण एवं जल निकास हेतु खुली नालियों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में खुले शौचालयों का उपयोग किया जाता है।

7. विद्युत आपूर्ति

नगर की विद्युत आपूर्ति जल कल के समीप स्थित पावर सब स्टेशन के माध्यम से कुन्दन मार्ग पावर हाउस द्वारा की जाती है जिसे कानपुर पनकी थर्मल पावर केन्द्र से 220 के० वी० ए० ग्रिड की विद्युत प्राप्त होती है। 1220 के० वी० ए० क्षमता का एक दूसरा विद्युत पावर हाउस नगर के पूर्व दिशा में स्थित ग्राम सोनिक में है जो सरोजनी नगर लखनऊ से सम्बद्ध है। इस पावर हाउस से शक्ति का उपयोग विशेषकर निजी क्षेत्र के उद्योगों में किया जाता है तथा केवल आपात काल में ही नगर के लिए यहां से विद्युत आपूर्ति की जाती है। वर्ष 1971 एवं 1979 में विद्युत कनेक्शन की कुल संख्या क्रमशः 3,741 एवं 6,075 थी जिसके आधार पर कनेक्शनों की वृद्धि 62.4% रही है। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र के 12 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध है।

8. वर्तमान भू-उपयोग

वर्ष 1980 में विभाग द्वारा भू-उपयोग सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया था। यह सर्वेक्षण उन्नाव एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्र तक सीमित रहा तथा ग्रामीण भू-उपयोग विवरण ग्रामों के सजरा मानचित्र के आधार पर अंकित किया गया है। संरचना के सम्बन्ध में भू-उपयोग का निर्धारण उस इकाई में किसी एक भू-उपयोग की बहुलता के

आधार पर किया गया है। उन्नाव एवं शुक्लागंज विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के भू-उपयोग का विवरण निम्न तालिका संख्या 6 में दिया गया है।

तालिका संख्या—6

उन्नाव—शुक्लागंज विकास क्षेत्र का भू-उपयोग-1980 [क्षेत्रफल हेक्टेयर में]

भू-उपयोग	उन्नाव नगरीय क्षेत्र		गंगाघाट नगरीय क्षेत्र		ग्रामीण		योग	
	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
आवासीय	255.0	41.4	55.0	66.3	927.3	58.1	1237.3	53.9
वाणिज्य	8.1	1.3	2.4	2.9	7.3	0.5	17.8	0.8
औद्योगिक	42.9	7.0	0.6	0.7	236.2	14.9	279.7	12.3
राजकीय/अर्धराजकीय	42.5	6.8	4.2	7.7	1.4	0.1	48.1	2.1
यातायात मार्ग आदि	121.7	19.8	9.3	11.2	289.2	18.1	420.2	18.4
रेल	48.7	7.9	7.5	10.7	98.8	6.3	155.0	6.7
सामुदायिक सुविधायें शिक्षा	20.0	3.2	1.6	0.2	15.6	0.9	37.2	1.6
स्वास्थ्य व चिकित्सा	8.0	1.3	0.8	0.1	2.0	0.1	10.8	0.4
मनोरंजन/धार्मिक	4.0	0.6	—	—	7.0	0.4	11.0	0.5
श्मशानघाट/कब्रिस्तान	10.2	1.6	1.6	0.2	—	—	11.8	0.5
उपयोगितायें एवं सेवायें सेवायें								
जल-मल तथा विद्युत	5.4	0.9	—	—	8.5	0.6	15.9	0.6
उद्यान	50.5	8.2	—	—	—	—	50.5	2.2
योग	617	100	83	100	1593.3	100	2295.3	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उन्नाव नगरपालिका के अन्तर्गत 39.70 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र है तथा 60.30 प्रतिशत अनिर्मित क्षेत्र। गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 16.90% निर्मित क्षेत्र है तथा 83.10% अनिर्मित क्षेत्र है। विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 12.36% निर्मित क्षेत्र है तथा 87.64% अनिर्मित अर्थात् खुला एवं कृषि क्षेत्र है।

उन्नाव गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र क्रमशः 41.40, 60.30 तथा 58.10% है तथा औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः 7.00, 0.70 एवं 14.99% है। यातायात के अन्तर्गत क्रमशः 27.70, 21.90 एवं 24.48% भूमि आती है तथा सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत क्रमशः 6.70, 0.50 एवं 1.40% भूमि है।

गंगाघाट नगर के क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित खुला क्षेत्र बहुत अधिक होने के कारण विकसित भूमि कम है। मुर्तजानगर, टीकर गढ़ी एवं मगरवारा के क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में 14.90% भूमि उद्योग के अन्तर्गत आती है तथा तुर्कमानपुर में विद्युत गृह होने के कारण सेवाओं के अन्तर्गत 0.60 प्रतिशत भूमि आती है। वाणिज्य के अन्तर्गत यद्यपि उन्नाव में 8.10 हेक्टेयर तथा गंगाघाट में मात्र 2.4 हेक्टेयर भूमि आती है फिर भी उन्नाव का प्रतिशत इस भू-उपयोग के अन्तर्गत मात्र 1.3 प्रतिशत है तथा गंगाघाट विकसित क्षेत्र का इस उपयोग के अन्तर्गत 2.9 प्रतिशत है।

उन्नाव नगर का विकास राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के दोनों ओर हुआ है। गंगाघाट नगरीय क्षेत्र का विकास भी इसी मार्ग के दोनों ओर पट्टिका रूप में हुआ है। यहाँ उच्च आवासीय घनत्व है, जल निकास की नालियों का अभाव है तथा पतली गलियों का बाहुल्य है जो 12 से 15 फुट तक चौड़ी है। यहाँ का अधिकांश भाग गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र के पश्चिम की ओर गंगा नदी के किनारे का भाग बाढ़ से प्रभावित रहता है।

9. विकास स्थिति एवं नियोजन समस्याएँ

9.1 विकास स्थिति

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र में तीन विभिन्न स्थलों पर विकास केन्द्रित रहा है :—

- [1] उन्नाव नगरीय क्षेत्र
- [2] अकरमपुर मगरवारा क्षेत्र
- [3] गंगाघाट नगरीय क्षेत्र

उन्नाव नगरीय क्षेत्र का विकास मुख्यतया लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन के दोनों ओर हुआ है। नगर के वाह्य भाग में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के दोनों ओर औद्योगिक विकास हुआ है। नगर के मध्यवर्ती भाग में पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के पास राजकीय कार्यालय से युक्त सिविल लाइन क्षेत्र है तथा पुराने राष्ट्रीय मार्ग के पूर्व की ओर पुराना नगर बसा है। इसकी दक्षिणी सीमा लगभग राय-बरेली मार्ग तथा पूर्वी सीमा बाईपास है। उत्तरी सीमा जेल रजबहा पश्चिम सीमा शारदा कैनल तक है। इस क्षेत्र की गहराई लगभग एक किलो मीटर है।

भूमि का सामान्य ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नगर के दक्षिण-पूर्वी भाग में काफी संख्या में जलाशय हैं जिन्होंने गन्दे नालों का रूप ले लिया है। नगरीय निर्माण योग्य भूमि साधारणतया तीन प्रमुख मार्गों [लखनऊ-कानपुर, उन्नाव-हरदोई तथा उन्नाव-रायबरेली] पर तथा कानपुर को जाने वाली रेलवे लाइन के दक्षिण पश्चिम में ही उपलब्ध है।

अकरमपुर मगरवारा क्षेत्र में विशेषतया औद्योगिक विकास हुआ है। जो रेलवे लाइन तथा लखनऊ-कानपुर मार्ग के मध्य तक सीमित है। अकरमपुर ग्राम क्षेत्र के मार्ग के पूर्व की ओर उद्योग विभाग की ओर से औद्योगिक आस्थान विकसित किया गया है जो उन्नाव नगर से लगभग तीन किलो मीटर दूर है।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से वाणिज्यिक विकास हुआ है जहां राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों ने अपने गोदाम बना लिये हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की स्थापना हुई है जो इस क्षेत्र का मुख्य आर्थिक आधार है। अतः इसी आधार पर उन्नाव - शुक्लागंज विकास क्षेत्र के भावी विकास की परिकल्पना की गई है।

9.2 नियोजन समस्याएँ

उन्नाव नगर में नियोजन समस्याओं के सामान्यतया दो रूप हैं :-

9.2.1 भौतिक समस्या

राष्ट्रीय मार्ग के दक्षिण-पूर्वी दिशा की भूमि कई जगहों पर जलाशयों में घिरी होने के कारण उस ओर कुछ सीमा तक आवासीय विकास के लिए अवरोध उत्पन्न करती है। गन्दे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नगर स्तर पर नहीं होने के कारण इससे संबंधित समस्या नगर में सबसे गंभीर है। पानी के प्राकृतिक भराव के मध्य अनियन्त्रित निर्माण के कारण नगर के अधिकांश रास्ते तथा गलियों में सामान्य रूप से जल भराव हमेशा बना रहता है तथा इन गलियों द्वारा गंदा पानी उपरोक्त जलाशयों में जमा हो जाता है जहां आवासीय विकास संभव नहीं है।

9.2.2 वर्तमान विकास

समुचित मार्ग संरचना के अभाव में इस नगर के विकास को सही दिशा देना कठिन है। रेलवे लाइन के पश्चिम उत्तर की ओर स्थित नव विकास तथा दक्षिण पूर्व की ओर विकसित क्षेत्र के मध्य उचित सम्पर्क के सिलसिले में उपलब्ध फ्लाई ओवर तथा दो रेलवे क्रॉसिंग पर्याप्त नहीं हैं तथा इस कारण इन दोनों क्षेत्रों के मध्य समुचित आवागमन की समस्या है।

गंगाघाट के नगरीय क्षेत्र में भी मुख्य रूप से दो प्रकार की विकास समस्याएँ हैं :-

- [1] अधिकांश नगरीय क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हैं। गंगा नदी सन्निकट है तथा इसका कटाव का भाग भी गंगाघाट-शुक्ला-गंज की तरफ है। बरसात में छपक नाला नाम के दो बड़े नाले गंगा नदी के पानी को इस नगरीय क्षेत्र के अधिकांश भाग में फैलाते हैं तथा यह जल भराव वर्ष के अधिकांश अवधि में रहता है। इस कारण इस नगरीय क्षेत्र में विकास की भयंकर समस्या है।
- [2] गंगाघाट नगरीय क्षेत्र का वर्तमान विकास इतना अधिक अनियमित है कि यहां की भौतिक समस्याएं अत्यन्त जटिल हैं।
 - 1-उन्नाव-कानपुर मार्ग, जो नगर का मुख्य मार्ग है, पर ही ट्रक सामान उतारने चढ़ाने के लिए खड़ी रहती हैं।
 - 2-इस मार्ग पर दोनों ओर अनधिकृत निर्माण के कारण इसकी प्रभावी चौड़ाई बहुत कम हो गयी है।
 - 3-गोदामों में सामान लाने तथा ले जाने के लिए इक्का से लेकर ट्रक तक के वाहन प्रयोग में लाये जाते हैं। इस प्रकार तीव्र तथा धीमी गति वाले वाहन एक मार्ग पर एकत्र होकर यातायात समस्या को और भी जटिल बनाते हैं।

4—पेय जल आपूर्ति एवं मल निस्तारण व्यवस्था के पूर्ण अभाव ने पर्यावरण सम्बन्धी समस्या को और भी जटिल बना दिया है।

9.3 महायोजना का उद्देश्य

उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये उन्नाव-शुक्लागंज महायोजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है :—

- (1) क्षेत्र विशेष में भूमि के दुर्विन्यास को रोकना।
- (2) भवनों को व्यवस्थित रूप से विकसित करना।
- (3) प्रक्षेपित जनसंख्या को युक्तियुक्त रूप से घनत्व को ध्यान में रखकर नगरीय क्षेत्र में समायोजित करना।
- (4) मनोरंजन, चिकित्सा तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं का नगर स्तर पर उचित वितरण।
- (5) विभिन्न उपयोगिताओं एवं सेवाओं को समुचित रूप से विकसित करना।
- (6) नगर की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योगों के समुचित विकास के लिए प्राविधान करना।
- (7) विभिन्न भू-उपयोगों को विकसित करने हेतु उचित जोनिंग रेगुलेशन का निर्धारण करना।
- (8) हरित पट्टिका के अन्तर्गत कृषि भूमि को मनचाहे उपयोग में परिवर्तित करने पर रोक लगाना।
- (9) नगर में स्वस्थ भौतिक पर्यावरण को बनाये रखने हेतु उचित विकास की दिशा प्रदान करना।

9.4 सेक्टर निर्धारण

उन्नाव-गंगाघाट नगर क्षेत्र के समुचित एवं नियोजित विकास के निमित्त प्रस्तावित नगरीकरण योग्य भूमि को तीन स्वपोषित नियोजन खण्डों में विभक्त किया गया है। इस विभाजन में यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक खण्ड अपने आप में परिपूर्ण तथा प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षेत्रीय निवासियों को निश्चित दूरी के अन्दर ही उपलब्ध हो जाय तथा उन्हें अनावश्यक रूप से अधिक दूर न जाना पड़े।

विकास क्षेत्र का स्वरूप अति विस्तृत एवं बिखरा होने के कारण दो अन्य नियोजन खण्डों की परिकल्पना की गई है जो मुख्यतया उद्योग से सम्बन्धित है तथा पर्यावरण की दृष्टि से इनमें अन्य विशेष भू-उपयोग का प्रस्ताव नहीं किया गया है। प्रत्येक नियोजन खण्ड को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है। उन पाँच नियोजन खण्डों का विवरण निम्नलिखित है।

- (1) नियोजन खण्ड एक उत्तर में लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन पर 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग तथा पश्चिम में रायबरेली तथा बालामऊ रेलवे लाइन के मध्य मिलन बिन्दु तक, दक्षिण में लखनऊ-उन्नाव राष्ट्रीय मार्ग सं० 25 से 500 मीटर दक्षिण तक तथा पूर्व में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र की सीमा तक प्रस्तावित है। उसका भू-उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक है।
- (2) नियोजन खण्ड दो उत्तर में जेल रजबहा तक दक्षिण में लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन तथा पूर्व में बालामऊ रेलवे लाइन पर 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग तथा रायबरेली रेलवे लाइन पर राष्ट्रीय मार्ग सं० 25 तक एवं पश्चिम में 45 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग तक प्रस्तावित है।

इस नियोजन खण्ड का मुख्य भूउपयोग आवासीय के अतिरिक्त राजकीय कार्यालय तथा टेक्निकल इन्स्टीट्यूट है।

- (3) नियोजन खण्ड तीन उत्तर में लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन तक दक्षिण तथा पूर्व में बाईपास एवं राय-बरेली रेल मार्ग तक तथा पश्चिम में 45 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग तक प्रस्तावित हैं। इसका मुख्य भूउपयोग आवासीय के अतिरिक्त ट्रक टर्मिनस, मंडी तथा बस स्टेशन है।
- (4) नियोजन खण्ड चार उत्तर में लखनऊ रेलवे लाइन तक, दक्षिण में नाला तक, पूर्व में 45 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग तक तथा पश्चिम में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की सीमा प्रस्तावित है। इसका भूउपयोग औद्योगिक है।
- (5) नियोजन खण्ड पाँच में मुख्यतया गंगाघाट तथा शुक्लागंज का क्षेत्र सम्मिलित है उत्तर में 30 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग के साथ 350 मीटर की गहराई तक, तथा पूर्व में वदरखा मार्ग तक, प्रस्तावित है। इस खण्ड का भूउपयोग आवासीय के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनों का भंडारण है जो यहाँ की आर्थिक क्रिया का मूल आधार है।

तालिका संख्या-7

उन्नाव-शुक्लागंज क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न नियोजन खण्डों का विवरण-वर्ष 2001

नियोजन खण्ड संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	457.32
2	647.82
3	1053.33
4	439.79
5	484.00
योग :-	3082.26

10-महायोजना प्रस्ताव

इस महायोजना के अन्तर्गत कुल 3082.26 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्ताव दिये गये हैं जिसमें वर्तमान निर्मित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत उन्नाव नगर एवं उसके सन्निकट अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए कुल 2598.26 हेक्टेयर भूमि तथा गंगाघाट क्षेत्र में 484 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2001 तक के लिए प्रस्तावित है।

11-जनसंख्या

योजना काल में जनसंख्या का आकार तथा विशिष्टता का सही अनुमान लगाना अनिवार्य है क्योंकि अनुपातिक जनसंख्या के आधार पर ही नगर का भावी आकार एवं विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि की आवश्यकता आदि का सही अनुमान लगाया जाता है। इस हेतु उन्नाव नगर की जनसंख्या का अध्ययन किया गया है। जनसंख्या की भूतकालीन प्रवृत्ति भावी जनसंख्या का दिशा सूचक है। उन्नाव विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या पिछले दो दशकों में तीन गुने से अधिक हो गयी है। इसी प्राकृतिक वृद्धि एवं प्रवजन वृद्धि के आधार पर भावी जनसंख्या का अनुमान किया गया है जिसका विवरण तालिका संख्या 8 में किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दशक 1971-81 में उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या वृद्धि 25.25% की

तुलना में उन्नाव जनपद में यह वृद्धि 23.00 प्रतिशत रही इसी अवधि में कानपुर महानगर में यह वृद्धि 32.39 प्रतिशत रही किन्तु उन्नाव नगरीय क्षेत्र बेतहासा बढ़कर 98.93 प्रतिशत हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र है।

12. भावी जनसंख्या पूर्वानुमान

विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा नगर के भावी तीव्र गति के विकास में व उसमें होने वाले प्रवासन को ध्यान में रखकर उन्नाव एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों की भावी जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है जिसके अनुसार वर्ष 2001 में उन्नाव नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 2,18,400 तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 88,000 हो जाने का अनुमान है। अतः सम्पूर्ण विकास क्षेत्र की जनसंख्या 400,000 तथा प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र की जनसंख्या 306400 हो जाने का अनुमान है।

इतनी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित प्रतीत होते हैं :-

- (1) तीव्र औद्योगिकरण
- (2) औद्योगिक महानगर कानपुर के अद्योगों का विकेन्द्रीकरण
- (3) कानपुर महानगर के निकटवर्ती क्षेत्र से जनसंख्या का उन्नाव-गंगाघाट नगर क्षेत्र में प्रवजन।
- (4) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संस्थानों के उत्पादित माल के उत्तरी भारत में विक्रय हेतु अनुतरण।

तालिका संख्या-8

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र की वर्तमान एवं प्रस्तावित जनसंख्या

	जनसंख्या			वृद्धि दर प्रतिशत	
	1981	1991	2001	81-92	91-2001
उन्नाव	75983	33100	218400	75.17	64.09
गंगाघाट	26050	54000	88000	107.22	62.96
ग्रामीण	54248	67900	93600	25.17	37.85
कुल विकास क्षेत्र	156281	255000	400000	63.16	56.86

13. आवास

आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है तथा नगर की आवासीय दशायें नगर के स्वरूप तथा उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन स्तर से परस्पर संबंधित हैं जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आवास मनुष्य की प्राथमिक ही नहीं अपितु एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

आवास की समस्या प्रायः प्रदेश के सभी नगरों में है। आवास की कमी ही एक विकट समस्या ही नहीं है वरन् उपलब्ध आवासीय इकाइयों में आवास की दशायें, गन्दे दूषित वातावरण, कार्यस्थल व आवास स्थल के मध्य सीधे संबंध का अभाव आदि भी आवास की ही समस्यायें हैं। नये आवासों के निर्माण की गति बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में कम है जिसके फलस्वरूप आवास की समस्यायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

सम्पूर्ण नगर को एक मलिन बस्ती कहना अतिशयोक्ति न होगा। वर्ष 1980 में किये गये 10 प्रतिशत सैम्पुल सर्वेक्षण के अनुसार 39.9 प्रतिशत जनसंख्या एक कमरे, 27.3 प्रतिशत दो कमरे, 14.4 प्रतिशत तीन कमरों तथा 18.4 प्रतिशत चार कमरों अथवा अधिक के आवास गृहों में रह रही थी तथा उक्त आकार के आवास गृहों में क्रमशः 50.0 प्रतिशत, 25.4 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत तथा 12.2 प्रतिशत परिवार निवास कर रहे थे। कुल परिवारों में लगभग 52.8 प्रतिशत परिवारों को निजी सर्विस शौचालयों की सुविधा एवं 19.7 प्रतिशत परिवारों को निजी प्लस शौचालयों की सुविधा उपलब्ध थी तथा लगभग 23.7 प्रतिशत परिवार शौच के लिए खुले क्षेत्र का उपयोग कर रहे थे। नगर के केवल 34.5 प्रतिशत परिवारों को पेयजल हेतु निजी नल उपलब्ध हैं तथा 58.2 प्रतिशत परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त विवरण नगर के अनुपयुक्त आवासीय स्थिति का स्पष्ट प्रमाण है।

गंगाघाट में 20 प्रतिशत जनसंख्या पर एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1980 में कराया गया जिसके अनुसार 73.7 प्रतिशत परिवार एक कमरे की आवासीय इकाई में तथा 14.7 प्रतिशत परिवार 2 कमरों की आवासीय इकाई में निवास कर रहे थे। कुल आवासीय भवनों में लगभग 88.3 प्रतिशत पक्के तथा 11.7 प्रतिशत कच्चे तथा मिश्रित भवन थे।

पक्के भवनों में लगभग 27.4 प्रतिशत भवन आवास हेतु सर्वथा अनुपयुक्त थे। लगभग 80 प्रतिशत परिवारों के पास रसोईघर तथा 58.2 प्रतिशत परिवारों के पास बिजली उपलब्ध नहीं थी। नगर के लगभग 45 प्रतिशत परिवारों के पास पृथक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर क्षेत्र में लगभग 82.7 प्रतिशत परिवार जलापूर्ति हेतु निजी हैन्ड पम्पों तथा शेष 17.3 प्रतिशत परिवार कुयें अथवा सार्वजनिक हैन्ड पम्पों पर निर्भर थे।

13.1 परिवार तथा आवासीय इकाइयों की संख्या

जनगणना के अनुसार परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो कि साथ-साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अधिकृत आवास गृह उस भवन को माना गया है जो सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रहने के लिए हो तथा जिसका एक पृथक द्वार हो।

तालिका संख्या—9

उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में परिवारों एवं अधिकृत आवासीय इकाइयों की संख्या और उसका अन्तर वर्ष 1961-81

वर्ष	उन्नाव				गंगाघाट				कुल योग	
	परिवारों की संख्या	अधिकृत आवासीय इकाइयाँ	कमी का प्रतिशत	कमी का प्रतिशत	परिवारों की संख्या	अधिकृत आवासीय इकाइयाँ	कुल आवासीय कमी	कमी का प्रतिशत	कुल आवासीय कमी	कमी का प्रतिशत
1961	5,835	4,685	1,150	19.7	—	—	—	—	1,150	19.7
1971	7,151	5,997	1,154	16.14	—	—	—	—	1,154	16.14
1981	13,311	11,770	1,541	11.6	5,391	5,045	346	6.42	1,887	10.11

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि पिछली तीन शताब्दियों में परिवार तथा अधिकृत आवासीय इकाइयों के अनुपात में सुधार हुआ है फिर भी आवासीय इकाइयों की उल्लेखनीय कमी है जिसे नियोजित रूप में ही पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

नगर में आवासीय निर्माण मुख्यतया व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगर के उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 तथा लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन के मध्य तथा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के पूर्व दक्षिण, उपमार्ग के उत्तर तथा उन्नाव-रायबरेली रेलवे लाइन के उत्तर में त्रिकोणीय क्षेत्र में आवासीय कालोनी विकसित की गई है।

नगर के आवासीय क्षेत्र को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुराना नगर क्षेत्र लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन के पूर्व की ओर पड़ता है तथा नया विकसित क्षेत्र उपरोक्त रेलवे लाइन के पश्चिम की ओर पड़ता है। इस नये क्षेत्र को सिविल लाइन क्षेत्र कहा जाता है। पुराने नगर में सार्वजनिक सुविधाओं एवं सेवाओं का सर्वथा अभाव है तथा इस क्षेत्र में संकरी गलियों का जाल बिछा है जिनकी चौड़ाई 5 फुट से लेकर 12 फुट तक है इसके विपरीत सिविल लाइन क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई लगभग 80 फुट से 100 फुट है। कई स्थानों पर यह चौड़ाई इससे भी अधिक है।

उन्नाव नगर के आवासीय क्षेत्र का घनत्व 298 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा गंगाघाट का आवासीय क्षेत्र का घनत्व 474 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

वर्ष 2001 के लिए आवासीय घनत्व के निर्धारण में तीन विभिन्न श्रेणियों की परिकल्पना की गई है :—

- 1—उच्च घनत्व 275 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
- 2—मध्य घनत्व 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर
- 3—निम्न घनत्व 175 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर

13.2 भावी आवासीय इकाइयों की संख्या

यह अनुमान किया गया है कि विकास क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र को जनसंख्या वर्ष 2001 तक वर्तमान जनसंख्या 1,02,033 से बढ़कर 3,06,400 (2,18,400 उन्नाव तथा 88,000 गंगाघाट) हो जायेगी। वर्तमान में इस क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में 18,702 (13311+5391) परिवार तथा 16815 (11770+5045) अधिकृत आवासीय इकाइयां हैं इनमें 10 प्रतिशत अत्यन्त खराब स्थिति में हैं तथा वर्ष 2001 तक 10 प्रतिशत अतिरिक्त भवनों के निवास के अयोग्य हो जाने की संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2001 तक 3363 (2354+1009) आवासीय भवनों के ध्वस्त अथवा निवास के अयोग्य हो जाने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2001 तक कुल 68089 (48533+19556) आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी तथा उपरोक्त उपलब्ध इकाइयों को छोड़ते हुए कुल 47911 (34409+13502) अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। वर्तमान एवं भावी स्थिति का विवरण तालिका संख्या 10 में दिया गया है।

तालिका संख्या—10

उन्नाव-गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्तमान आवासीय कमी और भवनों की भावी अपेक्षायें वर्ष 2001

	उन्नाव	गंगाघाट
1—जनसंख्या 1981	75983	26050
2—परिवार 1981	13311	5391
3—अधिकृत आवासीय इकाइयां 1981	11770	5045
4—आवासीय कमी	1541	346
5—खराब स्थिति में होने के कारण वर्ष 2001 तक 20% ध्वस्त होने वाली इकाइयों की संख्या	2354	1009
6—जनसंख्या वर्ष 2001	218400	88000
7—4.5 व्यक्ति प्रति परिवार के आधार पर कुल अनुमानित परिवार	48533	19556
8—अपेक्षित आवासीय इकाइयां	48533	19556
	(—) 11770	(—) 5045
	36763	14511
9—कुल अतिरिक्त अपेक्षित इकाइयां	(—) 2354	(—) 1009
	34409	13502

इस आधार पर वर्ष 2001 तक लगभग 47,911 अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। यह अनुमान किया गया है कि योजनाकाल में कुल परिवारों का 30 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, 50 प्रतिशत निम्न आय वर्ग, 14 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग तथा शेष 6 प्रतिशत उच्च आय वर्ग के अन्तर्गत होंगे। निम्न तालिका संख्या 11 में आवासीय उपयोग हेतु भूमि की आवश्यकता दर्शाई गयी है।

तालिका संख्या—11

विभिन्न आय वर्गों के लिए आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि वर्ष 2001

आयवर्ग	प्रतिशत	परिवारों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति भूखंड (वर्ग मी०)	औसत आवासीय इकाइयों की संख्या (प्रति भूखंड)	कुल अनुमानित प्लॉटेड क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	30.00	14,373	30-80	1	79.10	199.65
निम्न आय वर्ग	50.00	23,956	100-150	1	299.50	755.93
मध्यम आय वर्ग	14.00	6,707	200-300	1	167.70	423.28
उच्च आय वर्ग	6.00	2,875	300-400	1	57.50	145.13
योग	100.00	47,911	—	—	603.80	1523.99

यह अनुमान किया गया है कि आवासीय उपयोग हेतु 1523.99 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सकल आवासीय घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होगा। यद्यपि विभिन्न सेक्टरों में यह घनत्व विभिन्न होगा। कार्य क्षेत्र के समीप तथा नगरीय क्षेत्र के मध्य आवासीय घनत्व अधिक होगा तथा क्षेत्र जितनी वाह्य सीमा की ओर जाते जायेंगे, यह घनत्व मध्यम तथा निम्न होता जाएगा।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में आवास हेतु भूखण्ड के अतिरिक्त निम्न सामुदायिक सुविधाओं के भवनों तथा निर्माण हेतु भी भूमि सम्मिलित होगी।

1—शिक्षा	नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल के लिए भूखण्ड
2—चिकित्सा	औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र
3—वाणिज्य	कन्वीनियेंट तथा सेक्टर शाप्स
4—मनोरंजन हेतु खुले स्थल	टाट लाट्स, सेक्टर पार्क
5—नागरिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें	कम्युनिटी सेन्टर-कम-बारात घर एवं क्लब
6—अन्य सुविधायें	पुलिस चौकी, सब पोस्ट आफिस
7—धार्मिक स्थल	
8—सेवा उद्योग	

15. उद्योग

नगर के आर्थिक आधार को मजबूत बनाने के लिए उद्योगों के विकास पर बल दिये जाने की आवश्यकता है जिससे नगर निवासियों को रोजगार मिल सके, उनका स्तर ऊँचा उठ सके एवं नगर का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ हो सके। उद्योग के विकास से वाणिज्य एवं व्यवसाय, यातायात तथा अन्य सेवाओं का स्वतः विकास हो जाता है। उन्नाव नगर में उद्योगों का स्थान वाणिज्य के बाद है, जिसमें कुल श्रम शक्ति की 16.42 प्रतिशत श्रम शक्ति कार्यरत है जबकि वाणिज्य एवं व्यवसाय में 19.9 प्रतिशत व्यक्ति कार्यरत हैं।

उन्नाव तथा गंगाघाट दोनों ही नगरीय क्षेत्रों की प्रकृति इस प्रकार की है कि इन क्षेत्रों के मुख्य उद्योग नगरीय क्षेत्र के बाहर ही विकसित हुए हैं तथा वहीं पर विकसित हो रहे हैं।

इन क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 279.7 हेक्टेयर भूमि है जो कुल विकसित भूमि का 12.3 प्रतिशत है। भावी औद्योगिक विकास के लिए इन्हीं दो स्थलों का महायोजना में चयन किया गया है, एक उन्नाव नगर के उत्तर पूर्व में तथा दूसरा उन्नाव एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्र के मध्य में है।

उन्नाव नगर के उत्तर पूर्व का औद्योगिक क्षेत्र आवास एवं विकास परिषद कालोनी से लेकर मुर्तजा नगर की दक्षिणी सीमा तक फैला है। इस क्षेत्र में ग्राम वाजिदपुर, राजेपुर, टीकर गढ़ी एवं झंझरी के क्षेत्र आते हैं। इसका क्षेत्रफल 374.97 हेक्टेयर है। उन्नाव एवं शुक्लागंज के मध्य का क्षेत्र ग्राम शेखपुर, अकरमपुर, मगरवारा तथा सहजनी में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 260.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार महायोजना में वर्ष 2001 तक के लिए कुल भावी उद्योगों हेतु 635.41 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित दोनों क्षेत्रों में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र भी सम्मिलित है। उत्तर पूरब की ओर का क्षेत्र लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए प्रस्तावित है तथा दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र लघु एवं मध्यम उद्योग (प्रदूषण रहित) के

लिए प्रस्तावित है। इस ओर वर्तमान में जो प्रदूषण वाले उद्योग हैं उनके लिए आवश्यक होगा कि वे औद्योगिक प्रदूषित अवशेष का ट्रीटमेंट करने के पश्चात ही औद्योगिक परिसर से बाहर निकलें तथा भविष्य में प्रदूषण वाले नये उद्योगों के लिए इस ओर किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं किया है।

15.1 उद्योगों के प्रकार

महायोजना में तीन प्रकार के उद्योगों का प्रस्ताव किया गया है—सेवा उद्योग, हल्का उद्योग एवं मध्यम उद्योग।

सेवा उद्योग के अन्तर्गत वे औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें मरम्मत, रख रखाव एवं जांच वर्क आदि का कार्य होता है। इसके लिए भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र तथा वाणिज्य केन्द्रों के अन्तर्गत किया गया है। हल्का उद्योग वे हैं जिनमें 100 व्यक्ति से अधिक कार्यरत नहीं होंगे तथा जो 100 अश्व शक्ति से अधिक विद्युत उपयोग नहीं करते। मध्यम उद्योग वे हैं जिनमें 100 व्यक्ति से अधिक कार्यरत होंगे तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर से अधिक होगा।

14. वाणिज्य एवं व्यवसाय

उन्नाव नगर के व्यवसायिक क्षेत्र नगर की घनी आबादी के मध्य 8.1 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित है तथा गंगाघाट में लगभग 2.4 हेक्टेयर भूमि इस भू-उपयोग के अन्तर्गत है।

उन्नाव नगर में पुरानी बाजार तथा कैपरगंज में दो सबसे पुराने व्यवसायिक केन्द्र हैं। वर्तमान समय में नगर की प्रमुख गल्ला मंडी, किराने की दुकानें, मांस मछली, गुड़ खांडसारी, तेल एवं तेल पदार्थ तथा मिठाई, अन्य सेवा की दुकानें इन्हीं व्यवसायिक केन्द्रों में स्थित हैं। नगर में प्रत्येक बुद्धवार तथा रविवार को बाजार लगता है जिससे काफी संख्या में नगर के समीपवर्ती ग्रामों के लोग भी अपनी वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु आते हैं। नगर में व्यवसायिक क्रियाकलापों का विकास राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 पर स्थित मोती नगर रेलवे ओवर हेड ब्रिज से आरम्भ होकर रायबरेली रोड की क्रासिंग तक हुआ है तथा इस मार्ग पर स्थित बड़ा चौराहा क्रासिंग मुख्य व्यवसायिक केन्द्र है। इस क्रासिंग से दक्षिण-पूर्व की ओर जाने वाले धवन रोड पर कपड़ा, सोना चांदी, जनरल मर्चेन्ट, क्राकरी, दवाइयाँ, दर्जी तथा अन्य मुख्य सेवाओं की दुकानें हैं। चौराहे के उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाले राज मार्ग संख्या 38 पर मुख्यतः किराना, सोना, चांदी, दवाइयाँ, कपड़ा तथा अन्य सेवाओं की दुकानें हैं। नगर में जनसंख्या के क्षेत्रीय फैलाव के फलस्वरूप व्यवसायिक गति विधियों का फैलाव राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के अतिरिक्त नगर में अंदर की गलियों में जो कि 25 से 30 फुट चौड़ी है पर हुआ है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में स्थाई एवं अस्थायी अनधिकृत निर्माण अनपेक्षित रूप से प्रोत्साहित हो रहा है जिससे क्षेत्रीय यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है।

नगर के व्यवसाय की मुख्य विशेषता फुटकर व्यवसाय है जिनमें लगभग 95 प्रतिशत इकाइयाँ कार्यरत हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या खाद्य एवं खाद्य पदार्थों की दुकानों की है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तृतीयक सेक्टर के अन्तर्गत वाणिज्य एवं व्यवसाय के अन्तर्गत उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि यह नगर खाद्य एवं औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख संग्रह एवं वितरण केन्द्र है। इस हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं—

15. कृषि उत्पादन मंडी

उन्नाव-गंगाघाट नगर परिक्षेत्रों से कृषि उपज के पर्याप्त क्रय विक्रय हेतु नगर क्षेत्र में आधुनिक कृषि मण्डी के अभाव के कारण बाई पास मार्ग तथा रायबरेली मार्ग के मिलन स्थान के निकट एक कृषि मंडी का प्रस्ताव 7.85 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है।

15.2 गोदाम एवं भण्डारागार तथा मिनरल साइडिंग

कानपुर महानगर के समीप नगर महापालिका सीमा के बाहर थोक व्यापारियों ने गंगाघाट नगर क्षेत्र में उद्योगों से उत्पादित माल की वितरण व्यवस्था बनाई है जिसे महायोजना में उसी स्थल को केन्द्र मानकर इस कार्य-कलाप को सुदृढ़ करने हेतु 34.00 हेक्टेयर क्षेत्र में एक वृहद गोदाम एवं भण्डारागार का प्रस्ताव किया गया है।

उन्नाव नगर क्षेत्र में उन्नाव-लखनऊ तथा उन्नाव-बालामऊ रेलवे लाइन के मध्य 23.27 हेक्टेयर क्षेत्रफल में एक वृहद मिनरल साइडिंग स्थल का प्रस्ताव किया गया है।

15.3 उप नगरीय केन्द्र

व्यवसायिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु उन्नाव नगरीय क्षेत्र में चार स्थलों पर उप नगरीय केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है। ये स्थल पुराना राष्ट्रीय मार्ग एवं उसके उप मार्ग के मध्य रायबरेली मार्ग के उत्तर एवं दक्षिण में एक-एक स्थल, पुराना सफीपुर मार्ग तथा हरदोई मार्ग के मध्य तथा संडीला मार्ग तथा उत्तर में नाले के मध्य पश्चिमो नगर क्षेत्र में है। इनका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 51.08 है।

गंगाघाट क्षेत्र में प्रस्तावित गोदाम एवं भण्डारागार क्षेत्र के पूरब में 6.0 हेक्टेयर क्षेत्र में एक उप नगरीय केन्द्र का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावित स्थलों का कुल क्षेत्रफल 122.2 हेक्टेयर है।

उपरोक्त व्यवसायिक सुविधाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्तर के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रति 1000 व्यक्ति पर 7 दुकानों के आधार पर उन्नाव एवं गंगाघाट में क्रमशः 1526 तथा 616 दुकानों के लिए 6.3 एवं 2.5 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

16. कार्यालय

राजकीय/अर्ध राजकीय कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों के लिए उन्नाव नगर में वर्तमान क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 74.92 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जिसके अन्तर्गत वर्तमान जिला जेल स्थल भी शामिल है। ऐसा अनुमान किया गया है कि गंगाघाट नगर क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः वर्तमान में उपलब्ध कार्यालय ही पर्याप्त होंगे। यदि छोटे कार्यालय की आवश्यकता होगी तो उनके लिए प्रस्तावित उपनगरीय केन्द्र के अन्तर्गत इसका प्राविधान किया जायेगा। कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित भूमि का 2.88 प्रतिशत भूमि अनुमानित है।

17. सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें

सामुदायिक सुविधाओं का सम्बन्ध नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकता से होता है। आर्थिक विकास एकाकी नहीं है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास इसका अभिन्न अंग है जो सामुदायिक सुविधाओं की सुलभ उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इन आवश्यकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सुरक्षा आदि प्रमुख हैं।

समुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत उन्नाव एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 137.76 तथा 34.00 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

17.1 शिक्षा

किसी भी समुदाय की उन्नति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः इसका उचित विकास नितान्त आवश्यक है। पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि उन्नाव नगर की जनसंख्या वर्ष 1981 में 75,983 से बढ़कर वर्ष 2001 में 2,18,400 हो जायेगी। इसी आधार पर वर्ष 2001 में विभिन्न आयु वर्ग को लेकर भावी छात्र जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है जिसका विवरण तालिका संख्या 13 में दिया गया है।

तालिका संख्या—13

विभिन्न आयु वर्ग के अन्तर्गत उन्नाव नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या एवं छात्र संख्या वर्ष 2001

आयु वर्ग	प्रचलित शैक्षिक स्तर	जनसंख्या		छात्र संख्या (4-23 वर्ष आयु समूह के अन्तर्गत)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
0-3	शिशु	23369	10.70	—	—
4-5	नर्सरी	11576	5.30	9830	84.92
6-13	जूनियर हाईस्कूल	46736	21.40	37350	79.92
14-19	हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट	13540	6.20	9830	72.60
20-23	डिग्री/उच्च स्तरीय शिक्षा	6989	3.20	5020	71.83
योग		102211	46.80	62030	60.70

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या 26050 से बढ़कर वर्ष 2001 तक 88000 हो जाने का अनुमान किया गया है। इस जनसंख्या के अन्तर्गत विभिन्न अनुमानित आयु वर्ग को लेकर छात्र संख्या तालिका संख्या 14 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या—14

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आयु वर्ग में अनुमानित जनसंख्या एवं छात्र संख्या वर्ष 2001

आयु वर्ग	प्रचलित शैक्षिक स्तर	जनसंख्या		छात्र संख्या (4-19 वर्ष आयु समूह के अन्तर्गत)	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
0-3	शिशु	9512	10.8	—	—
4-5	नर्सरी /के०जी०	5800	6.6	4925	84.92
6-13	प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल	9721	22.4	15761	79.92
14-19	हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री/इन्टर	11196	12.7	8128	72.60
योग		46229	52.5	28814	62.33

17. 1. 1 प्राथमिक शिक्षा

भावी आवश्यकता निर्धारण हेतु 450 विद्यार्थी प्रति विद्यालय का मानक अपनाया गया है। इस आधार पर $47180 + 20686 = 67866$ विद्यार्थियों के लिए क्रमशः कुल 104 तथा 46 विद्यालयों की आवश्यकता होगी। अतः उन्नाव नगरीय क्षेत्र में वर्तमान 61 के अतिरिक्त 43 विद्यालयों की तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्तमान 23 विद्यालयों के अतिरिक्त 23 विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार विकास क्षेत्र में नगरीकरण योग्य सीमा में कुल 66 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता होगी। एक हेक्टेयर प्रति विद्यालय भूमि की आवश्यकता के अनुसार विकास क्षेत्र में कुल 66 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

17. 1. 2 माध्यमिक शिक्षा

उन्नाव नगर में उपलब्ध माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 10 माध्यमिक विद्यालय हैं अर्थात् प्रति 7598 जनसंख्या पर एक विद्यालय है। गंगाघाट में तीन विद्यालय उपलब्ध हैं अर्थात् प्रति 8700 व्यक्तियों पर एक विद्यालय है। प्रति 10,000-15,000 जनसंख्या पर एक विद्यालय के मानक के अनुसार यह स्थिति अत्यन्त संतोषजनक कही जा सकती है; परन्तु वर्तमान विद्यालयों में लाइब्रेरी, खेल का मैदान आदि की सुविधाएँ अत्यन्त असन्तोषजनक हैं। योजनाकाल के अन्त तक उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 9830 छात्र तथा गंगाघाट क्षेत्र में 8128 छात्रों के हो जाने का अनुमान है। 750 विद्यार्थी प्रति विद्यालय के मानक के आधार पर उन्नाव नगरीय क्षेत्र में कुल 13 तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 11 विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वर्तमान में क्रमशः 10 एवं तीन विद्यालयों के अतिरिक्त योजनाकाल के अन्त तक क्रमशः 3 एवं 8 अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता होगी। प्रति विद्यालय 2.5 हेक्टेयर के मानक के आधार पर 7.5 तथा 20.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

17. 1. 3 महाविद्यालय

उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 2 महा विद्यालय हैं। नगर एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए वर्ष 2001 तक 4 महा विद्यालयों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दो अतिरिक्त महा विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में कोई महा विद्यालय उपलब्ध नहीं है। नगरीय क्षेत्र में योजना अवधि के अन्त तक एक महा विद्यालय की आवश्यकता होगी।

महा विद्यालय का महत्व मात्र नगरीय क्षेत्र के लिए ही नहीं है। इसका क्षेत्रीय महत्व भी है। अतः महा-योजना के प्रस्ताव के अनुसार महा विद्यालय क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति भी करेंगे।

17. 1. 4 विशेष शिक्षण संस्थाएँ

उन्नाव नगर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसका उपयोग नगर ही नहीं वरन् समीवर्ती क्षेत्र के विद्यार्थी भी करते हैं। नगर के विकास के औद्योगिक रूप को देखते हुए यहाँ एक आई० टी० आई० तथा एक पाली-टेकनिक की आवश्यकता का अनुमान किया गया है तथा इसके लिए क्रमशः 5.00 हेक्टेयर तथा 16.96 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

17. 2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

इस समय उन्नाव नगर में कुल 330 शैयाएँ उपलब्ध हैं। एक शैया प्रति 300 व्यक्ति के आधार पर 398 अतिरिक्त शैयाओं की आवश्यकता पड़ेगी। नगर तथा क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए जिसके लिए 4 हेक्टेयर प्रति चिकित्सालय के मानक के आधार पर 19.57 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में मात्र 4 शय्याएँ उपलब्ध हैं। अतः योजनाकाल के अन्त तक 289 अतिरिक्त शय्याओं की आवश्यकता होगी। इस हेतु महायोजना में 2 छोटे चिकित्सालयों के लिए 6 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

नगरीय क्षेत्र के ये वर्तमान तथा प्रस्तावित चिकित्सालय क्षेत्रीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेंगे।

17. 2. 1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र

उन्नाव नगर में वर्तमान में मात्र एक स्वास्थ्य एवं मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है तथा गंगाघाट में एक भी केन्द्र नहीं है। प्रति 25,000 जनसंख्या पर एक केन्द्र के मानक के अनुसार महायोजना काल में उन्नाव तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 7 एवं 4 अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्रों की आवश्यकता होगी। प्रति इकाई 0.5 हेक्टेयर मानक के अनुसार उन्नाव एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 3.5 तथा 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी जिसका प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

17. 2. 2 औषधालय

उन्नाव नगरीय क्षेत्र में दो औषधालय तथा गंगाघाट में एक औषधालय उपलब्ध है। प्रति 12,000 जनसंख्या पर एक औषधालय के मानक के आधार पर इन दोनों नगरीय केन्द्रों हेतु क्रमशः 16 तथा 6 अतिरिक्त औषधालयों की आवश्यकता होगी जिनके लिए 0.2 हेक्टेयर प्रति औषधालय मानक के आधार पर उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 3.2 तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है। इस भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

17. 3 अन्य सुविधायें

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त नागरिक जीवन के उचित विकास हेतु अन्य सामुदायिक सुविधाओं जैसे संचार सुविधा, सुरक्षा सुविधा, आमोद-प्रमोद सुविधा आदि की आवश्यकता भी होती है तथा इनका भी उचित विकास अनिवार्य है।

17. 3. 1 संचार सुविधा

सामाजिक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए संचार तथा डाक सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस समय उन्नाव नगर में केवल 2 डाक एवं तार घर हैं तथा 6 शाखा एवं उप डाक घर हैं। गंगाघाट में मात्र एक उप-डाकघर है। 50,000 जनसंख्या प्रति डाक एवं तार घर के मानक के आधार पर उन्नाव तथा गंगाघाट प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में 2 अतिरिक्त डाक एवं तार घर का प्रस्ताव किया गया है। प्रति डाक एवं तारघर के लिए 0.4 हेक्टेयर भूमि के मानक के आधार पर कुल 1.6 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का आवासीय क्षेत्र में प्राविधान किया गया है।

प्रत्येक 10000 व्यक्ति पर एक उप डाक घर के मानक के आधार पर उन्नाव नगर में 16 तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 8 अतिरिक्त उप डाक घरों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक उप डाक घर के लिए 0.8 हेक्टेयर भूमि के मानक के आधार पर लगभग 2 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। इस भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र में कर दिया गया है।

उन्नाव नगर में एक टेलीफोन केन्द्र है। इसी केन्द्र का विस्तार करके उन्नाव-शुक्लागंज क्षेत्र की टेलीफोन सुविधा की पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। इसके विस्तार के लिए एक हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव महा-योजना में किया गया है।

17. 3. 2 सुरक्षा सुविधा

नगरीय जीवन के समुचित विकास के लिए मानव जीवन में सुरक्षा की भावना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्नाव तथा गंगाघाट प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में एक पुलिस थाना है तथा क्रमशः 2 तथा 1 पुलिस चौकी है। 50,000 जनसंख्या प्रति पुलिस स्टेशन के मानक के आधार पर योजनाकाल के अन्त तक उन्नाव में 3 तथा गंगाघाट में 1 अतिरिक्त पुलिस स्टेशन की आवश्यकता होगी। 0.8 हेक्टेयर प्रति पुलिस थाना के मानक के आधार पर उन्नाव क्षेत्र में 2.4 हेक्टेयर तथा गंगाघाट में 0.8 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

25000 प्रति जनसंख्या पर पुलिस चौकी के मानक के आधार पर उन्नाव तथा गंगाघाट में क्रमशः 7 तथा 3 पुलिस चौकियों का प्रस्ताव किया गया है। प्रत्येक पुलिस चौकी के लिए 0.4 हेक्टेयर के मानक के आधार पर 4.0 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

17. 3. 3 अग्निशमन सेवायें

सम्पत्ति तथा व्यक्तियों की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नाव जैसे प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं की अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता अनुभव की जाती है। इस समय नगर में केवल एक अग्निशमन केन्द्र है जो रायबरेली मार्ग पर स्थित है। नियोजन की दृष्टि से प्रति 70,000 जनसंख्या पर एक अग्निशमन केन्द्र के आधार पर वर्ष 2001 तक उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 1 अग्निशमन केन्द्र की आवश्यकता होगी। साधारणतया 5 किलोमीटर के अंदर यह सेवा उपलब्ध होना अनिवार्य है। प्रत्येक केन्द्र के लिए 1.0 हेक्टेयर भूमि के मानक के आधार पर उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 2 हेक्टेयर तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 1 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान वाणिज्य केन्द्र में किया गया है।

17. 3. 4 मनोरंजन सुविधायें

नगरीय जीवन के तनाव से राहत पाने के लिए तथा मानसिक विकास एवं अवकाश का समय सुचारु रूप से व्यतीत करने के लिए मनोरंजन की अत्यन्त आवश्यकता है। मनोरंजन की दृष्टि से पार्क तथा खुले स्थल एवं पुस्तकालय, चलचित्र गृह, स्टेडियम आदि महत्वपूर्ण हैं।

पार्क एवं खुले स्थान

उन्नाव नगर में जहाँ दिन प्रतिदिन औद्योगीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है पार्क एवं खुले स्थल का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यहाँ सुव्यवस्थित पार्क व क्रीड़ा स्थल का पूर्ण अभाव है। भावी विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में मनोरंजन के लिए खुले स्थल का प्राविधान विभिन्न स्तरों पर किया गया है जो निम्नलिखित है।

1—टाट लाट्स 2—सेक्टर पार्क 3—डिस्ट्रिक्ट पार्क 4—नगर पार्क 5—स्टेडियम

प्रति 500 जनसंख्या पर एक टाट लाट्स की आवश्यकता का मानक लेकर तथा प्रति टाट लाट्स 0.02 हेक्टेयर भूमि का मानक लेते हुये उन्नाव नगरीय क्षेत्र में 8.7 तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है। यह भूमि आवासीय क्षेत्र में उपलब्ध होगी।

प्रति 10,000 से 15,000 जनसंख्या पर एक सेक्टर पार्क तथा प्रति सेक्टर पार्क के लिए एक हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के मानक के आधार पर उन्नाव नगर में 17 हेक्टेयर तथा गंगाघाट में 6 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता का अनुमान किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र में किया गया है।

उन्नाव नगर में 6 तथा गंगाघाट क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट पार्क की आवश्यकता होगी जिसके लिए क्रमशः 39.15 हेक्टेयर तथा 12.50 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है।

उन्नाव नगर में एक स्टेडियम उपलब्ध है। इसे विस्तृत तथा विकसित करने का प्रस्ताव है तथा वर्तमान भूमि को मिला कर इसके लिए लगभग 4.00 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

आडिटोरियम (सांस्कृतिक भवन)

नगर में वर्तमान में आडिटोरियम/ड्रामा-भवन का पूर्ण अभाव है। प्रति 1,00,000 जनसंख्या के लिए 1 आडिटोरियम के आधार पर उन्नाव नगर में 2 तथा गंगाघाट में एक भवन की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। प्रति भवन 8.0 हेक्टेयर भूमि के आधार पर क्रमशः 1.6 एवं 0.8 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। उन्नाव एवं गंगाघाट में ये भवन प्रस्तावित वाणिज्य केन्द्र में होंगे।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

योजनाकाल के अन्त तक प्रति 20,000 जनसंख्या पर एक पुस्तकालय के आधार पर उन्नाव नगर में 9 अतिरिक्त तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में 4 पुस्तकालय तथा वाचनालय प्रस्तावित किये गये हैं। प्रति पुस्तकालय हेतु 0.2 हेक्टेयर अर्थात् कुल 0.8 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है। ये पुस्तकालय वाणिज्य केन्द्र के अन्तर्गत होंगे।

क्लब/सभा भवन

वर्ष 2001 तक प्रति 20,000 जनसंख्या पर 0.4 हेक्टेयर भूमि प्रति भवन के मानक के आधार पर उन्नाव नगरीय क्षेत्र तथा गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 11 एवं 4 भवनों की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए 4.4 तथा 1.6 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया है।

व्यवसायिक मनोरंजन

व्यवसायिक मनोरंजन में चलचित्र सबसे महत्वपूर्ण है जिसका महत्व सामान्य व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 4 चलचित्र गृह उन्नाव में तथा एक गंगाघाट नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध है। 30,000 जनसंख्या प्रति चलचित्र के मानक के आधार पर योजना काल में उन्नाव नगर में 3 तथा गंगाघाट में 2 अतिरिक्त चलचित्र गृहों की आवश्यकता का अनुमान किया गया है। प्रति चलचित्र गृह के लिए 0.4 हेक्टेयर भूमि के मानक के आधार पर क्रमशः 1.2 तथा 0.8 हेक्टेयर भूमि का आवासीय क्षेत्र तथा वाणिज्य केन्द्र में प्राविधान किया गया है।

17.4 सेवायें

जलापूर्ति, विद्युतापूर्ति एवं मल प्रवाह नगरीय जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी औद्योगिक नगर में इन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। परन्तु उन्नाव नगर में इन सभी का अभाव है तथा स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

वर्तमान पेयजल की कमी पूर्ति के लिए अधिशासी अभियन्ता, तृतीय प्रोजेक्ट डिवीजन, उत्तर प्रदेश जल निगम उन्नाव की योजनानुसार वर्ष 2001 के लिए 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जलापूर्ति का प्रस्ताव किया गया है।

17.4.1 विद्युत पूर्ति

वर्ष 2001 तक उद्योग धन्धों में अनुमानित वृद्धि के फलस्वरूप अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होगी।

अतः उन्नाव नगर के उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग तथा गंगाघाट में क्रमशः 4.4 एव 1 अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित किये हैं। उत्तर एवं दक्षिण में ये उपकेन्द्र प्रस्तावित खण्डों में तथा गंगाघाट में वाणिज्य केन्द्र में स्थित होंगे।

17. 4. 2 मल निस्तारण

वर्तमान समय में मात्र 0.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही मलनिस्तारण योजना से सम्बन्धित है। वर्ष 1976-77 में जल संस्थान द्वारा उन्नाव नगर के लिये मल निस्तारण की योजना बनाई गई थी जिसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस योजना के क्रियान्वयन से नगर के दक्षिण में उपमार्ग के पूरव की ओर के ग्राम गदन खेड़ा शेखपुर नदी एवं बंधर की कृषि भूमि लाभान्वित होगी। इस प्रकार की योजना से यत्र तत्र फैली गदगी तथा वर्षा ऋतु में नगर की दयनीय स्थिति में सुधार होगा।

18. यातायात एवं परिवहन

नगर के भौतिक विकास को यातायात संरचना प्रभावित करती है तथा साथ ही यह संरचना आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के दक्षिण पूरव की ओर का नगर का पुराना भाग मुख्यतया संकरी गलियों से सेवित होता है। केवल इस मार्ग के पश्चिम-उत्तर का क्षेत्र ही कुछ सीमा तक नियन्त्रित ढंग से विकसित हुआ है। पर सम्पूर्ण नगर में यातायात की भयंकर समस्या है जिसके भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय क्रियाओं एवं उद्योगों के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही और भी विकट हो जाने की संभावना है। गंगाघाट नगरीय क्षेत्र की स्थिति को भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यहां वर्तमान में केवल राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 एक मार्ग के रूप में उपलब्ध है, इससे ही होता हुआ एक मार्ग गंगाघाट से आवादी क्षेत्र से जाता है जो वहाँ का मुख्य मार्ग है।

यातायात के लिए मार्ग, महामार्ग व आवागमन की सुविधाओं का नियोजन भौतिक नियोजन का एक अभिवाज्य अंग है। किसी भी नगर की यातायात संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे यातायात सुविधाओं एवं भू-उपयोग में सामंजस्य हो सके। यातायात एवं परिवहन नियोजन का उद्देश्य विभिन्न स्थानों एवं क्रियाओं में आपसी संबंध बनाना तथा साथ ही मार्गों पर यातायात का सुगम प्रवाह होना है। वर्तमान विकास में जहाँ तक मार्गों की चौड़ाई का संबंध है अधिकांश मार्ग इतने संकरे हैं कि उन्हें आवश्यकतानुसार कम से कम चौड़ा करने के लिए भी वर्तमान मार्गों के दोनों ओर के अधिकांश निर्माणों की तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी जो किसी भी प्रकार व्यवहारिक नहीं है। महायोजना में यह प्रयत्न किया गया है कि अतिरिक्त यातायात को नये प्रस्तावित मार्गों पर निकालकर तथा वर्तमान केन्द्रीय क्रियाओं के विकेंद्रित करके वर्तमान मार्गों पर यातायात का भार कम किया जाय। निर्मित क्षेत्र में वर्तमान मार्ग की चौड़ाई उनकी न्यूनतम चौड़ाई मानकर रखी गई है।

महायोजना में मार्गों का क्रम तीन श्रेणियों में रखा गया है जो कि निम्न प्रकार है।

तालिका संख्या—12

प्रस्तावित मार्गों की वर्गीकरण

प्रस्तावित मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई [मीटर में]
मुख्य मार्ग तथा संबंधित उपमार्ग	45 से 75
उप मार्ग तथा अन्य मार्ग	30
नगरीय मार्ग	18 से 25

18.1 धमनीय मार्ग

राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 एवं प्रान्तीय मार्ग संख्या 38 उन्नाव नगर एवं गंगाघाट नगरीय क्षेत्र के मुख्य धमनीय मार्ग हैं जो नगर को उत्तर प्रदेश के अन्य मुख्य नगरों से जोड़ते हैं। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 नगर को उत्तर-पूरव में लखनऊ तथा दक्षिण-पश्चिम में गंगाघाट नगरीय क्षेत्र से होकर कानपुर से जोड़ता है। प्रान्तीय मार्ग संख्या 30 उन्नाव नगर को दक्षिण - पूरव में रायबरेली तथा पश्चिम - उत्तर में हरदोई नगर को जोड़ता है। इन मार्गों की अंधिकृत चौड़ाई 30 मीटर है। परन्तु वास्तव में नगर के अन्दर इन मार्गों की चौड़ाई अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के कारण बहुत कम हो गई है जो कहीं-कहीं पर 10 मीटर तक हो गई हैं। मार्ग संख्या 25 पर ही मुख्य उद्योग, शैक्षिक संस्थाएँ, नगरपालिका कार्यालय, संस्थाएँ, बस अड्डा, भंडारण गृह तथा ट्रक एजेन्सियाँ आदि स्थित हैं। गंगाघाट में इसी मार्ग पर ट्रक एजेन्सियाँ तथा विभिन्न कम्पनियों के उत्पादित माल के भंडारागार स्थित हैं जिससे ट्रकों का काफी जमाव मार्ग के दोनों ओर रहता है। इसके अतिरिक्त नगर का मुख्य वाणिज्य केन्द्र इसी मार्ग के दोनों ओर है।

प्रस्तावित नगरी करण योग्य सीमान्तर्गत पुराना राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 को मौरावा मार्ग चौराहे से बाई पास तिराहे तक 75 मीटर तथा बाई पास तिराहे से रायबरेली मार्ग तिराहे तक 30 मीटर तथा उसके आगे चन्द्रशेखर आजाद मार्ग तिराहे तक 45 मीटर तथा उसके आगे गंगा नदी के किनारे तक 30 मीटर प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 का उपमार्ग भी 75 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे चौराहे के दक्षिण में रायबरेली मार्ग तथा बाई पास मार्ग के मिलान बिन्दु तक रायबरेली मार्ग [प्रान्तीय मार्ग संख्या 38] 45 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है।

18.2 मुख्य नगरीय मार्ग

ये मार्ग नगर के आन्तरिक यातायात के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों को सम्बद्ध करते हैं। इनके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित मार्ग आते हैं—गुरु तेग बहादुर मार्ग रेलवे स्टेशन से मुख्य नगर केन्द्र को मिलाता है। इसकी चौड़ाई कम नहीं है परन्तु इस मार्ग पर कानपुर वाले टैम्पो खड़े रहते हैं जो यहाँ के आवागमन को अवरुद्ध करते हैं। वाटर वर्क्स मार्ग नगर पालिका कार्यालय के उत्तर की ओर से आरम्भ होकर नगर के पुराने भाग को जाता है। धवन मार्ग बड़े चौराहे से नगर के पुराने भाग को मिलाता है। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 से लेकर लगभग 300 मीटर तक की गहराई में मार्ग के दोनों ओर मिश्रित बाजार है जिस पर अत्यधिक अनधिकृत निर्माण के कारण सड़क की चौड़ाई वास्तविक के आधे से भी कम रह गई है। स्टेशन मार्ग बड़े चौराहे से धवन मार्ग के ठीक विपरीत दिशा से आरम्भ होकर स्टेशन तथा सिविल लाइन क्षेत्र को पुराने नगर से मिलाता है। इस पर भी अत्यधिक अतिक्रमण हो चुका है। सिनेमा मार्ग छोटे चौराहे से आरम्भ होकर घने आवासीय क्षेत्र से होता हुआ राम नगर की ओर जाता है। पंडित डी० एच० एन० कौल मार्ग सिविल लाइन क्षेत्र का मुख्य मार्ग है।

इन मार्गों पर यातायात समस्याएँ विभिन्न समस्याओं का मिला जुला परिणाम हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों का आवागमन, पार्किंग स्थलों का अभाव, मिश्रित यातायात, सड़कों पर अतिक्रमण आदि ने विकट समस्या बना दी है। गुमटी रखकर सामान इकट्ठा करना, प्रदर्शन के लिए सड़क पर सामान का ढेर लगाना, फेरी वालों, खोमचे वालों द्वारा आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने से तथा सभी प्रकार के वाहनों के सड़क पर खड़े रहने के कारण मार्ग की अपर्याप्त चौड़ाई भी पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। इन मार्गों की चौड़ाई में भी एकरूपता नहीं है।

नगर के अन्दर की यातायात समस्या को दूर करने के लिए एक अन्य 30 मीटर चौड़ा नया मार्ग लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग पर आवास विकास कालोनी के उत्तर से आरम्भ होकर संडीला मार्ग पर मिलाने हुए प्रस्तावित किया गया है। एक दूसरा नया 45 मीटर चौड़ा महत्वपूर्ण मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के उप मार्ग के मध्य से तथा रायबरेली मार्ग के दक्षिण से निकलकर पश्चिम में परियर मार्ग के प्रस्तावित समरेखन के साथ होते हुए चौरा ग्राम के मध्य की ओर जाते हुए पुराने सफीपुर मार्ग से होता हुआ हरदोई मार्ग से मिलाने हुए प्रस्तावित किया गया है।

चन्द्र शेखर आजाद मार्ग को 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। 30 मीटर चौड़ा एक अन्य नवीन मार्ग लखनऊ-कानपुर उपमार्ग से आरम्भ करके केन्द्रीय क्रियाओं के मध्य तथा रायबरेली मार्ग पर प्रस्तावित बस अड्डे के उत्तर की ओर से होता हुआ दक्षिण में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़े उपमार्ग से मिलाने हुए प्रस्तावित किया गया है। एक अन्य 24 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है जो कि छोटे चौराहे के पूरब में रामनगर मोहल्ले से आरम्भ होकर दक्षिणपूरब से होते हुए रायबरेली मार्ग पर प्रस्तावित ट्रक टर्मिनस के पश्चिम में होते हुए दक्षिण में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ा उपमार्ग को मिलाता है।

इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि कानपुर के निकट प्रस्तावित गंगा बैराज के निर्माण के फल-स्वरूप जो यातायात पश्चिम-उत्तर भारत से लखनऊ की तरफ उन्नाव से राष्ट्रीय मार्ग के बाई पास होकर जाता है वह इस रास्ते से न जाकर बैराज पार कर परियर मार्ग द्वारा कम दूरी तय करते हुए लखनऊ जायेगा। ऐसी दशा में उन्नाव के निकट परियर मार्ग वर्तमान में आवादी के मध्य संकरा होने के कारण उसके समरेखन में आंशिक परिवर्तन कर उसे उत्तर पश्चिम की तरफ थोड़ा हट कर मोड़ते हुए प्रस्तावित किया गया है।

शुक्लागंज में प्रस्तावित मुद्रिका मार्ग जो गंगाघाट के वर्तमान बंधे के उत्तर की ओर होता हुआ छपक नाले तक जाते हुए छपक नाले के बंधे से होता हुआ पूर्व की ओर जाते हुए प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के पूर्व की ओर होता हुआ दक्षिण में गंगाघाट रेलवे लेविल क्रॉसिंग को पार करते हुए गंगाघाट के वर्तमान बंधे पर मिलाने हुए प्रस्तावित किया गया है। इसकी चौड़ाई 30 मीटर प्रस्तावित की गई है।

इनकी चौड़ाई 18 मीटर से 24 मीटर के मध्य प्रस्तावित की गई है। विभिन्न प्रकार के वर्तमान तथा प्रस्तावित मार्गों को चौड़ाई सहित प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

18. 3 स्थानीय मार्ग

उपरोक्त मार्गों के अतिरिक्त नगर के भीतर के अन्य मार्ग अत्यन्त संकरे हैं जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। इन मार्गों की चौड़ाई अनेक स्थानों पर 3 मीटर से भी कम है जहां केवल रिक्शा, साइकिल व पैदल यात्रा ही संभव है।

18. 4 ट्रक टर्मिनस

रायबरेली मार्ग तथा लखनऊ-कानपुर उप मार्ग के मिलन बिन्दु के समीप रायबरेली मार्ग पर 10.23 हेक्टेयर क्षेत्र में एक ट्रक टर्मिनस प्रस्तावित किया गया है। यह ट्रक टर्मिनस ऐसे स्थल पर प्रस्तावित किया गया है जो नगर के समीप के विभिन्न नगरों से नगर के क्रियाकलापों को बिना विघ्न किये जोड़ता है। गंगाघाट क्षेत्र में इस प्रकार की यातायात का प्राविधान गोदामों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में किया गया है। उपरोक्त ट्रक टर्मिनस के अतिरिक्त

ट्रक एजेन्सियों, माल चढ़ाने व उतारने की सुविधायें, ट्रक बस टर्मिनस गोदाम व छोटे स्तर का कर्मशाला का भी प्राविधान होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य छोटे स्तर की सामुदायिक सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

18. 5 बस स्टैंड

नगर के बाहर बस तथा टैक्सी के यातायात को सुदृढ़ करने हेतु तथा भावी आवश्यकतानुसार नगरीय योग्य सीमा में दो नये बस अड्डे प्रस्तावित किये गये हैं। जिनमें एक पूरब में रायबरेली मार्ग पर 7.69 हेक्टेयर क्षेत्र में रायबरेली तथा कानपुर एवं लखनऊ के यातायात हेतु तथा दूसरा पश्चिम में पुराने सफीपुर मार्ग तथा प्रस्तावित 45 मीटर चौड़े उप मार्ग के मिलन बिन्दु पर 5.59 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। यह हरदोई, संडीला, आदि केन्द्रों के निमित्त यातायात हेतु होगा।

18. 6 चौराहों का पुनर्विकास

नगरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन ऐसे चौराहों का पुनर्विकास प्रस्तावित किया गया है जो निरन्तर यातायात की समस्या से ग्रस्त रहते हैं।

18. 6. 1 बड़ा चौराहा

यह चौराहा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 तथा धवन मार्ग एवं स्टेशन मार्ग का संधि स्थल है।

18. 6. 2 छोटा चौराहा

यह चौराहा भी राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 तथा सिनेमा मार्ग एवं पुराना सफीपुर मार्ग का संधि स्थल है।

18. 6. 3 रायबरेली मार्ग तिराहा

यह तिराहा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 तथा रायबरेली मार्ग से मिलकर बनता है। यहाँ क्षेत्रीय यातायात की विकट समस्या है।

18. 7 लेविल क्रॉसिंग एवं ओवर हेड ब्रिज

गंगाघाट क्षेत्र में रेलवे लेविल क्रॉसिंग तथा गंगा ब्रिज के क्षेत्र का पुनर्विकास प्रस्तावित किया गया है। परियर मार्ग रेलवे लाइन पार करते हुए प्रस्तावित समरेखन स्थल पर रेलवे ओवरहेड ब्रिज का प्रस्ताव किया गया है। उसके अतिरिक्त गंगाघाट क्षेत्र लखनऊ कानपुर रेल लाइन पर छपक नाले के दक्षिण में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़े मार्ग तथा उसके दक्षिण में प्रस्तावित गोदाम के दक्षिण सिरे पर एक-एक नये रेलवे लेविल क्रॉसिंग का प्रस्ताव किया गया है।

यातायात एवं परिवहन के अन्तर्गत महायोजना में 454.12 हेक्टेयर भूमि का प्राविधान किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का 14.73 प्रतिशत है।

तालिका संख्या—15

उन्नाव-गंगाघाट महायोजना प्रस्तावित भू-उपयोग-2001

क्रम सं०	भू-उपयोग	नगरीयकरण योग्य क्षेत्रफल			प्रस्तावित भूमि का [हेक्टेयर]
		उन्नाव	गंगाघाट	कुल योग	
1-	आवासीय	1223.99	300.00	1523.99	49.44
2-	वाणिज्य एवं व्यवसाय	82.20	40.00	122.20	3.97
3-	उद्योग	635.41	—	635.41	20.62
4-	राजकीय एवं अर्ध राजकीय कार्यालय	74.92	—	74.92	2.43
5-	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें	137.76	34.00	171.76	5.57
	शिक्षा	52.78	12.50	65.28	—
	स्वास्थ्य	23.59	6.00	29.59	—
	अन्य सुविधायें	18.16	3.00	21.16	—
	पार्क	39.15	12.50	51.65	—
	स्टेडियम	4.08	—	4.08	—
6-	यातायात	344.12	110.00	454.12	14.73
7-	अन्य	99.86	—	99.86	3.24
	योग	2598.26	484.00	3082.26	100

जोनिंग रेगुलेशन

नगर के सुव्यवस्थित विकास में जोनिंग रेगुलेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास प्रक्रियाओं के मध्य विभिन्न प्रयोगों के अन्तर्गत अन्य अनुषांगिक क्रियार्ये तथा उपयोग आवश्यक होते हैं जिन्हें महायोजना मानचित्र में पृथक रूप से नहीं दर्शाया जा सकता है। इसके लिए जोनिंग रेगुलेशन की आवश्यकता होती है जो महायोजना के उचित क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण वैधानिक उपकरण है। महायोजना प्रस्तावों को अधिक प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान भवन निर्माण उपनियम तथा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेन्ट में एक्ट 1973 के अन्तर्गत प्रचलित विनियमन के साथ-साथ इनको लागू करना आवश्यक है।

सुनियोजित एवं स्वस्थ भावी विकास को सुनिश्चित करने तथा भवन निर्माण कार्यों पर नियन्त्रण हेतु उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र, उपयोग जोन में विभक्ति किया गया है जैसे-आवासीय, सामान्य व्यावसायिक केन्द्र, अनाज मण्डी, सामुदायिक सुविधायें एवं उपयोगितायें, उद्योग, पार्क एवं क्रीडास्थल आदि। क्यो कि विभिन्न भू-उपयोग जोन अपने क्रियात्मक स्वरूप में भिन्न होंगे अतः पृथक-पृथक भू-उपयोग जोन के लिए अलग-अलग विनियमन व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

भू-उपयोग जोन

[अ] वर्तमान

- 1- निर्मित क्षेत्र
- 2- ग्रामीण आबादी

[ब] प्रस्तावित-

- 1- आवासीय
- 2- सामान्य व्यावसायिक केन्द्र
- 3- अनाज मण्डी
- 4- सामुदायिक सुविधायें एवं उपयोगितायें
- 5- उद्योग
- 6- कार्यालय
- 7- ट्रक टर्मिनस/बस अड्डा
- 8- पार्क एवं क्रीडास्थल
- 9- हरित पट्टिका
- 10- कृषिक्षेत्र

उपरोक्त सभी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत विकास को दो शीर्षकों में विभक्त किया गया है।

1-निषिद्ध उपयोग

अर्थात् वे विकास कार्य जो स्वीकृत नहीं हो सकेंगे।

2-सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य उपयोग

विनियमित क्षेत्र के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य विकास प्राधिकरण से है।

इसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के गुणदोष पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति दी जा सकेगी।

[अ] वर्तमान निर्मित क्षेत्र

वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत उन्नाव एवं शुक्लागंज नगर के निर्मित क्षेत्र तथा उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण आवादी वाले ग्रामीण आवादी वाले क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है।

[1] निर्मित क्षेत्र

उन्नाव एवं शुक्लागंज नगर का वह भाग निर्मित क्षेत्र माना जायेगा जिसका कि अधिकांश भाग व्यापार, उद्योग एवं आवासीय उपयोग में विकसित हो चुका हो एवं इसके अन्तर्गत विभिन्न आवश्यक सुविधायें यथा मार्ग, जल वितरण, सीवेज तथा विद्युत आदि उपलब्ध हो और ऐसा क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान विकसित क्षेत्र घोषित किया गया हो। वर्तमान विकसित/निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी भू-भाग जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.4 हेक्टेयर [एक एकड़] या इससे अधिक हो और वह वर्तमान निर्मित/विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत खुले रूप में स्थित हो तो वह क्षेत्र अविकसित क्षेत्र/भू-भाग माना जायेगा। वर्तमान विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी क्षेत्र जो किसी कम्पनी, संघ अथवा व्यक्तिगत तौर पर या राजकीय/अर्द्धराजकीय/स्थानीय निकायों द्वारा सुनियोजित रूप में विकसित किया जाना हो वह क्षेत्र वर्तमान विकसित क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं माना जायेगा।

1.1 प्रधानतः आवासीय

निषिद्ध उपयोग

वृहद एवं भारी उद्योग, हानिकारक, प्रदूषण युक्त एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, भण्डारागार, नाशवान, खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं के गोदाम, कबाड़ खाना [जंकयार्ड], थोक मण्डी, छुआ छूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, जंगल, 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक का चरागाह, बूचड़खाना, दुग्ध-शाला एवं कुक्कुट पालन फार्म हाउस, जानवरों को पालने का स्थान, वाहनों की मरम्मत एवं सेवा हेतु वर्कशाप, कृषि उपजों का विधि, विधायन एवं विक्रय केन्द्र, शमशान भूमि एवं कब्रिस्तान।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

दो अश्व शक्ति तक के सेवा उद्योग, समाचार पत्र कार्यालय एवं प्रिंटिंग प्रेस, कोयला, लकड़ी एवं टिम्बरयार्ड, आटा चक्की, जल शोधन प्लांट के साथ जलापूर्ति केन्द्र, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस इंस्टालेशन (अधिष्ठान) एवं गैस कार्य, विद्युत शक्ति गृह, बस एवं ट्रक अवशान/डिपो, सेवा केन्द्र, टैक्सी एवं स्कूटर स्टेण्ड, रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन एवं साइडिंग, अस्थिर व्यावसायिक मनोरंजन उपयोग जैसे चलचित्र, सर्कस एवं अन्य प्रदर्शन, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक सभा भवन, सांस्कृतिक केन्द्र, होटल एवं जलपान गृह, मोटल एवं कारवांपार्क, व्यावासायिक प्रयोग, पाली-टेक्निक एवं उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाएं जिनको भारी मशीनों आदि की आवश्यकता होती हो, खेलकूद का मैदान राजकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपयोगिताओं के अधिष्ठान।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 40 प्रतिशत भूतल अच्छादान के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 100 होगा। ग्रूप हाउसिंग (समूह आवास) के सन्दर्भ में अधिकतम 35 प्रतिशत भूतल अच्छादान के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा।

समूह आवास के सन्दर्भ में अनुमन्य जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र के लिए महायोजना में प्रस्तावित घनत्व से 25 प्रतिशत अधिक होगा ।

1.2. प्रधानतः ब्यावसायिक-

निषिद्ध उपयोग :-

वृहद एवं भारी उद्योग, हानिकारक, प्रदूषण युक्त एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, छुआछूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, बूचड़खाना, शमशान भूमि एवं कब्रिस्तान, कुक्कुट पालन फार्म, फार्म-हाउस, जानवरों को पालने का स्थान ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

10 अक्षय शक्ति तक के प्रदूषण रहित उद्योग, भण्डारागार, नाशवान, खतरनाक एवं ज्वनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खाना (जंकयार्ड), कोयला, लकड़ी एवं टिम्बर यार्ड, पालीटेक्निक एवं मशीन युक्त उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाएं, जलशोधन प्लांट सहित जलापूर्ति केन्द्र, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस कार्य, विद्युत शक्ति गृह, कृषि यंत्रों की मरम्मत एवं सर्विसिंग हेतु कार्यशाला, होटल, मोटल, एवं कारवां पार्क, बस एवं ट्रक अवसान/डिपो, सेवा केन्द्र, टेक्सी/स्कूटर स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा साईडिंग, हेलीपैड, खेलकूद का मैदान, सार्वजनिक उपयोगिता से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, सामान्य शिक्षा वाले स्कूल/कालेज, पशु सम्बन्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत के भूतल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा ।

1.3. प्रधानतः औद्योगिक

निषिद्ध उपयोग :-

सन्तरी, चौकीदार एवं आवश्यक कार्य चालन स्टाफ के आवासों को छोड़कर अन्य आवासीय भवन, सामान्य शिक्षा वाले स्कूल/कालेज, छुआछूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, होटल, मोटल एवं कारवां पार्क छात्रावास, बूचड़खाना ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

क्षेत्र के विकास के लिए कंकड़, मिट्टी और पत्थर के अस्थाई खनन को छोड़कर अनिष्टकर, हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, नाशवान, खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खान (जंकयार्ड), कोयला, लकड़ी एवं टिम्बर यार्ड, मशीन युक्त या बिना मशीन के पालीटेक्निक एवं उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थायें, खेलकूद के मैदान, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस अधिष्ठान एवं गैस कार्य, विद्युत शक्तिग्रह, जलशोधन प्लांट के साथ जलपूर्ति केन्द्र, बस एवं ट्रक अवसान/डिपो, सेवा केन्द्र, रेलवे यार्ड रेलवे/साईडिंग, एवं हेलीपैड शमशान एवं कब्रिस्तान, धार्मिक भवन, सांस्कृतिक एवं लोकोपकारी संघ के भवन चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, परिचर्यागृह, कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के भवन, अस्थिर प्रकृति के व्यवसायिक मनोरंजन, टेक्सी एवं स्कूटर स्टैंड, दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन फार्म, जानवरों को पालने का फार्म, कृषि यंत्रों की मरम्मत एवं सर्विसिंग हेतु कार्यशाला, कृषि उपजों का विधायन एवं बिक्री केन्द्र ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तलक्षेत्र अनुपात 50 होगा ।

टिप्पणी :-

निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निम्न प्रकार के उद्योग अनुमन्य हो सकते हैं :-

- 1— वे उद्योग जो कि प्रतिदिन 500 किलो लीटर से कम तरल/एप्लुएण्ट उत्पन्न करते हो तथा उन्हें किसी उपयुक्त तकनीकी ढंग से नियन्त्रित किया जा सकता हो ।
- 2— वे उद्योग जिनकी प्रतिदिन कोयला/ईंधन की खपत 24 मिट्रिक टन से कम हो तथा उनके इमीसन्स को किसी उपयुक्त तकनीकी ढंग से नियन्त्रित किये जाने का प्राविधान हो ।
- 3— वे सभी उद्योग जिनमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत न हों ।

1. 4 पार्क

निषिद्ध उपयोग :-

खुले स्थल एवं पार्क के अनुसांगिक भवन एवं निर्माण को छोड़कर अन्य भवन एवं निर्माण ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

खुले स्थल भू-उपयोग एवं पार्क के अन्तर्गत अनुज्ञेय उपयोग के अनुसांगिक भवन एवं निर्माण जैसे-टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, अस्थिर प्रकृति के व्यवसायिक मनोरंजन जैसे-चलचित्र, सर्कस एवं प्रदर्शनी, सार्वजनिक सभा भवन, सांस्कृतिक केन्द्र, जलपान गृह एवं कारवा पार्क, खेलकूद का मैदान, खुली नाट्यशाला, खुला सिनेमा ।

1. 5 कार्यालय :-

निषिद्ध उपयोग :-

वृहद एवं भारी उद्योग, अनिष्टकर, हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, छुआ छूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, बूचड़खाना, भण्डारागार, नाशवान, खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खाना (जंकयार्ड), थोक मंडी, दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन केन्द्र फार्म हाउस पशुसम्बन्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मरम्मत एवं सेवा (सर्विसिंग) कार्यशाला, कृषि उपजों का विधायन एवं विक्रय केन्द्र ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

आवासीय भवन, होटल, मोटल, एवं कारवा पार्क, व्यवसायिक उपयोग, जलशोधन प्लांट सहित जलपूर्ति अधिष्ठान, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस अधिष्ठान, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस अधिष्ठान एवं गैस कार्य, बस एवं ट्रक अवसान, सेवा केन्द्र, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं यार्ड, हेलीपैड, सांस्कृतिक केन्द्र, मशीन आदि की आवश्यकता वाले पोलिटेक्निक एवं उच्च तकनीकी संस्थान, शमशान एवं कब्रिस्तान ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा ।

2- ग्रामीण आबादी :-

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत परन्तु महायोजना क्षेत्र के बाहर स्थित आबादी जिसको कि वर्ष 1987 में ग्राम के राजस्व मानचित्र में ग्रामीण आबादी अंकित किया गया हो, ग्रामीण आबादी माना जायेगा ।

निषिद्ध उपयोग :-

वृहद एवं भारी उद्योग, हानिकारक, अनिष्टकर एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, भण्डारागार, नाशवान ज्वलनशील एवं खतरनाक वस्तुओं के गोदाम, कबाड़खाना, (जंकयार्ड), थोकमण्डी छुआछूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, बूचड़खाना एवं शमशान भूमि ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

ऐसे उपयोग जो ग्रामीण तथा कृषि विकास के लिये आवश्यक हों ।

(ब) प्रस्तावित क्षेत्र :-

(I) आवासीय :-

निषिद्ध उपयोग :-

थोक मण्डी, भण्डारागार एवं गोदाम, गैस भण्डार, उद्योग, शीतगृह व बर्फखाना, वृहद तेल डिपो एवं एल० पी० जी० रिफिलिंग प्लांट, व्यावसायिक कार्यालय, सर्विस सेन्टर (वाहन), मानसिक या छुआछूत वाले रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, आडीटोरियम सहित समाज कल्याण केन्द्र, आडीटोरियम, कबाड़खाना (जंकयार्ड), मोटर गैराज व वर्कशाप, मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, बूचड़खाना, विद्युतशक्तिगृह, शमशान एवं कब्रिस्तान, खेलकूद का मैदान एवं क्रीडांगन, पालीटेकनिक एवं मशीनी आवश्यकता वाली तकनीकी संस्थाएं, होटल, दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन केन्द्र, फार्म हाउस, पशु सम्बर्द्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, कृषि उपजों का विधायन एवं विक्रय केन्द्र, हेलीपेड ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

दो अश्वशक्ति तक के विद्युत/इंजन से चलने वाले सेवा उद्योग और 10 अश्वशक्ति तक की शक्ति वाली आटा चक्की, प्रिन्टिंग प्रेस, समाचार पत्र कार्यालय, कोयला एवं लकड़ी के टाल व टिम्बर यार्ड, शोधन प्लांट सहित जलापूर्ति अधिष्ठान, टेक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड एवं ट्रक अवसान/डिपो, रेलवे यार्ड/स्टेशन एवं साइडिंग, अस्थाई प्रकृति वाले व्यावसायिक मनोरंजन जैसे-चलचित्र, सर्कस प्रदर्शनी, नाट्यशाला, सार्वजनिक सभा भवन, सांस्कृतिक केन्द्र, भोजनालय एवं जलपान गृह, होटल एवं कारवां पार्क, राजकीय कार्यालय, सामुदायिक सुविधाओं से सम्बन्धित केन्द्र, सार्वजनिक उपयोगिताओं के अधिष्ठान ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 40 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 100 होगा । ग्रुप हाउसिंग (समूह आवास) के सन्दर्भ में अधिकतम 35 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ एफ० ए० आर० 150 होगा । समूह आवास के सन्दर्भ में अनुमन्य जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र के लिए महायोजना में प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व से 25 प्रतिशत अधिक होगा ।

2-सामान्य व्यावसायिक केन्द्र :-**निषिद्ध उपयोग :-**

वृहद एवं भारी उद्योग, हानिकारक प्रदूषण युक्त एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, छुआछूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, बूचड़खाना, शमशान भूमि एवं कब्रिस्तान, कुक्कुट पालन फार्म, फार्म हाउस ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

10 अश्वशक्ति तक के शक्ति वाले प्रदूषण रहित उद्योग, भण्डारागार, नाशवान, खतरनाक उद्योग, भण्डारागार, नाशवान एवं ज्वलनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खाना [जंकयार्ड], कोयला, लकड़ी एवं टिम्बर यार्ड, पालीटेकनिक एवं मशीन युक्त तकनीकी संस्थाएं जल शोधन प्लांट सहित जलापूर्ति केन्द्र, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस अधिष्ठान एवं गैस कार्य, विद्युत शक्ति गृह, यंत्रों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, हेतु कार्यशाला, होटल, मोटल एवं कारवां पार्क, बस एवं ट्रक अवसान/डिपो, सेवा केन्द्र, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, रेलवे यार्ड/ स्टेशन तथा साईडिंग, हेलीपैड, खेलकूद का मैदान, सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी प्रतिष्ठान, सामान्य शिक्षा वाले स्कूल/कालेज, जानवरों को पालने का स्थान ।

उपर्युक्त उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत के भू-तल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा ।

3-अनाज मण्डी-

निषिद्ध उपयोग :-

आवासीय भवन, छात्रावास, अतिथि गृह धर्मशाला, बारात घर, उद्योग बस डिपो एवं वर्कशाप, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह, स्कूल/कालेज, समाज कल्याण केन्द्र, आडीटोरियम, धार्मिक स्थल, पुस्तकालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान, संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, बच्चों हेतु ट्रैफिक पार्क, संग्रहालय, प्रदर्शनी-स्थल एवं आर्ट गैलरी, खुली नाट्यशाला, नैदानिक प्रयोगशाला, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, सामुदायिक कक्ष, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र, अनाथालय, योग/ध्यान केन्द्र, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन केन्द्र, पौधशाला, बूचड़खाना, श्मशान एवं कब्रिस्तान, दुग्धशाला, कुक्कुट फार्म, फार्म हाउस, पशुपालन केन्द्र ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

प्रदूषण रहित 10 अश्व शक्ति तक की शक्ति वाले उद्योग, कबाड़खाना (जंकयार्ड), जलशोधन प्लांट के साथ जलापूर्ति केन्द्र, गोश्त एवं मछली बाजार, धर्मकांटा, विद्युत उपकेन्द्र/शक्तिगृह, कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग हेतु वर्कशाप, होटल, मोटल एवं कारवां पार्क, ट्रक अवसान, वाहनों हेतु सर्विसिंग स्टेशन, टैक्सी, स्कूटर स्टैण्ड, रेलवे यार्ड एवं साईडिंग ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत भूतल का आच्छादन के साथ तलक्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा ।

4-सामुदायिक सुविधायें एवं उपयोगिताएं

निषिद्ध उपयोग :-

आवासीय भवन, गैस भण्डार, वृहद तेल डिपो एवं एल० पी० जी० रिफिलिंग प्लांट, वर्कशाप, ट्रक/बस डिपो, वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र, बूचड़खाना, श्मशान एवं कब्रिस्तान, उद्योग, दुग्धशाला एवं कुक्कुटपालन फार्म, फार्म हाउस, पशुपालन केन्द्र, हेलीपैड, कबाड़खाना [जंक यार्ड], रेलवे यार्ड, विद्युत शक्तिगृह, कोयले तथा लकड़ी के टाल, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन तथा सर्विस स्टेशन ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

भवन के प्रथम तथा ऊपर मंजिलों पर आवास, दो अश्व शक्ति तक के इंजन से चलने वाले सेवा उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस तथा समाचार पत्र कार्यालय, हलके वाहनों हेतु पार्किंग स्थल ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तलक्षेत्र अनुपात [एफ० ए० आर०] 120 होगी ।

5-उद्योग :-**निषिद्ध उपयोग :-**

आवासीय भवन, होटल, अतिथिगृह, व्यापारिक उपयोग हेतु भवन, वृहद तेल डिपो एवं एल० पी० गैस रिफिलिंग प्लांट, व्यावसायिक कार्यालय, सेवा केन्द्र, विस्तृत भू-आच्छादित उद्योग, चिकित्सालय, बरातघर, प्राथमिक पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा संस्थायें, समाज कल्याण केन्द्र, उपचर्या केन्द्र, नैदानिक प्रयोगशाला संगीत/नृत्य/नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल एवं कलाकेन्द्र, खुली नाट्यशाला, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें, अनाथालय, योग/मनन/ध्यान/आध्यात्मिक चिंतन एवं प्रवचन केन्द्र, पौधशाला, मोटल एवं कारवां पार्क ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

नाशवान, खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं के भण्डार, नीलामी स्थल, कबाड़खाना, कोयला/लकड़ी/टिम्बर यार्ड, मशीन युक्त या बिना मशीन वाले पोलिटेकनीक एवं उच्च तकनीकी संस्थान, जलशोधन प्लांट के साथ जला-पूर्ति अधिष्ठान, विद्युत शक्तिगृह, बस एवं ट्रक अवसान डिपो, सेवा केन्द्र, रेलवे यार्ड/साइडिंग, हवाई पट्टी/हेलीपैड, श्मशान एवं कब्रिस्तान, धार्मिक भवन, सांस्कृतिक एवं लोकोपकारी संघ, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उपचर्या केन्द्र, कार्यालय एवं बैंक, सार्वजनिक उपयोगिताओं के भवन, अस्थिर स्वरूप वाले व्यावसायिक मनोरंजन, टैक्सी/स्कूटर अड्डा ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 50 होगा ।

6-कार्यालय :-**निषिद्ध उपयोग :-**

वृहद एवं भारी उद्योग, अनिष्टकर, हानिकारक एवं खतरनाक उद्योग, खनन सम्बन्धी उद्योग, छुआछूत या या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, बूचड़खाना, भण्डारागार, नाशवान, खतरनाक एवं ज्वलनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खाना (जंकयार्ड) थोक मण्डी दुग्धशाला एवं कुक्कुट पालन फार्म, फार्म हाऊस, पशु सम्बर्द्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मरम्मत एवं सेवा [सर्विसिंग] कार्यशाला, कृषि उपजों का विधायन एवं विक्रय केन्द्र ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :-

आवासीय भवन, होटल, मोटल एवं कारवां पार्क, व्यावसायिक उपयोग, जलशोधन प्लांट सहित जलपूर्ति अधिष्ठान, सीवेज निस्तारण कार्य, गैस अधिष्ठान एवं गैस कार्य, बस एवं ट्रक अवसान, सेवा केन्द्र, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं यार्ड, हेलीपैड, सांस्कृतिक केन्द्र, मशीन आदि की आवश्यकता वाले पालीटेकनिक एवं उच्च तकनीकी संस्थान, श्मशान एवं कब्रिस्तान ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 30 प्रतिशत भू-तल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनपात (एफ० ए० आर०) 150 होगा ।

7—बस अड्डा/ट्रक टर्मिनस :—

निषिद्ध उपयोग :—

आवासीय भवन, शिक्षण संस्थाएं एवं छात्रावास, अतिथि गृह, एल० पी० जी० रिफिलिंग प्लांट, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सभाकक्ष, धार्मिक स्थल, बारातघर, नैदानिक प्रयोग शाला, संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, बाल उद्यान, संग्राहलय, प्रदर्शनी स्थल, आर्ट गैलरी, सांस्कृतिक केन्द्र, अनाथालय, योगकेन्द्र, मनन, चिंतन एवं आध्यात्मिक प्रवचन केन्द्र, पौधशाला, श्मशान एवं कब्रिस्तान, दुग्धशाला, कुक्कुटपालन फार्म, फार्म हाउस, पशुपालन केन्द्र, उद्योग, ज्वलनशील, प्रदूषण युक्त एवं हानिकारक पदार्थों के भण्डारागार एवं गोदाम, थोक व्यापार से सम्बन्धित दुकानें ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :—

ऊपरी तलों पर आवासीय निर्माण, व्यावसायिक कार्यालय, धर्मशाला, सामुदायिक केन्द्र ।

8—पार्क एवं क्रीड़ा स्थल :—

निषिद्ध उपयोग :—

कोई भवन या निर्माण जिससे कि उस स्थल के प्रस्तावित उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा उसकी आवश्यकता खेलकूद एवं मनोरंजन के लिए न हो ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :—

सार्वजनिक उपयोगिताओं तथा सेवाओं से संबंधित निर्माण जो संचार माध्यम, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता आदि से सम्बन्धित हो जैसे-ओवर हेड टैंक, पम्पिंग स्टेशन, पाइप लाइन, विद्युत तथा टेलीफोन के खम्भे, स्कूटर तथा टैक्सी स्टैण्ड, अस्थायी व्यावसायिक मनोरंजन यथा सर्कस प्रदर्शनी आदि अस्थाई जलपान गृह ।

9—हरित पट्टिका :—

निषिद्ध उपयोग :—

कोई भवन या निर्माण जिससे कि उक्त स्थल के प्रस्तावित उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तथा उसकी आवश्यकता हरितपट्टिका के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन तथा मनोरंजन के लिए न हो ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :

सार्वजनिक उपयोगिताओं तथा सेवाओं से सम्बन्धित निर्माण जो संचार माध्यम, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि से सम्बन्धित हो जैसे-ओवर हेड टैंक, पम्पिंग स्टेशन, पाइप लाइन, विद्युत तथा टेलीफोन के खम्भे, टैक्सी व स्कूटर स्टैण्ड, अस्थायी व्यावसायिक मनोरंजन यथा सर्कस प्रदर्शनी, खुली नाट्यशाला एवं चलचित्रगृह, अस्थाई जलपान गृह ।

10-कृषि क्षेत्र :-

निषिद्ध उपयोग :-

आवासीय उपयोग, कृषि उपजों पर आधारित सहायक उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योग ।

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अनुमन्य उपयोग :

फार्म हाउस, खनन सम्बन्धी उद्योग, ईट भट्ठा इस प्रतिबंध के साथ कि ईट भट्ठा का स्थान महायोजना के नगरीकरण योग्य क्षेत्र से 2 कि० मी० की दूरी के उपरान्त और मुख्य मार्ग से कम से कम 30 मी० दूर हो तथा ईट के लिए मिट्टी की खुदायी अधिकतम दो मी० तक की जाये । चूना-सुर्खी, सीवेज निस्तारण फार्म, गैसपूर्ति तथा गैस कार्य, विद्युत शक्ति केन्द्र, जलशोधन प्लांट सहित जलपूर्ति केन्द्र, छुआछूत या मानसिक रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालय, ट्रक अवसान/डिपो, सेवा केन्द्र, हवाई पट्टी, कब्रिस्तान एवं श्मशान, कारवां पार्क, नाशवान वस्तुओं का गोदाम, शीतगृह, खतरनाक और ज्वलनशील वस्तुओं का गोदाम, कबाड़खाना (जंकयार्ड), कोयला, लकड़ी तथा टिम्बर यार्ड, बूचड़खाना, धोबीघाट, माईक्रोवेव, दूरसंचार केन्द्र हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षण संस्थायें, पेट्रोल/डिजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैरेज परिशिष्ट-2 के प्रतिबन्धों के अधीन ।

उपर्युक्त अनुमन्य उपयोगों में अधिकतम 10 प्रतिशत भूतल आच्छादन के साथ तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) 25 होगा ।

सामान्य :-

1-विभिन्न भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत स्थित वर्तमान असंगत भू-उपयोगों (नानकनफार्मिंग लैंड यूजेज) को भविष्य में भी बने रहने की अनुमति दी जा सकती है वशत कि वह हानिकारक न हो । परन्तु ऐसे भू-उपयोगों को अपने वर्तमान स्थल पर किसी प्रकार के भौतिक विस्तार की अनुमति नहीं होगी । उन्हें अपनी वर्तमान भौतिक सीमा में ही सीमित रहते हुये उत्पादन बढ़ाने, यन्त्रीकरण आदि करने की अनुमति दी जा सकती है । वर्तमान हानिकारक उपयोगों का स्थानान्तरण महायोजना में सम्बन्धित प्रस्तावित क्षेत्र में वर्ष 2001 तक धीरे-धीरे किया जाना चाहिए ।

2-वे असंगत भवन अथवा निर्माण जो आग, बाढ़, त्रिस्फोट, युद्ध, तोड़फोड़ आदि के परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो गये हो की पूर्ववत् रूप में निर्मित कराने व उपयोग में लाये जाने की अनुमति नहीं होगी । ऐसे निर्माण व उपयोगों के पुर्नविकास व निर्माण की अनुमति महायोजना प्रस्तावानुसार निर्दिष्ट जोनिंग रेगुलेशन के अनुरूप होगा । अन्य किसी असंगत भू-उपयोग की किसी रूप में अनुमति न होगी ।

3-महायोजना में वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाले वर्तमान अधिकृत भवन/निर्माण भविष्य में भी यथावत् रह सकते हैं परन्तु यह प्रतिबन्ध रहेगा कि मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के अन्तर्गत आने वाले भाग में किसी प्रकार के विस्तार या नये निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी । ऐसी स्थिति में नये निर्माण या विस्तार की स्वीकृति प्रस्तावित चौड़ाई को अनुरक्षित करने के उपरान्त ही नियमानुसार दी जायेगी ।

4-भू-खण्डों के आकार, कवरेज, एफ० ए० आर० आदि का निर्धारण उ० प्र० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलेपमेंट एक्ट 1973 के अन्तर्गत दिये रेगुलेशन एवं निर्देशों तथा उ० प्र० शासन एवं विकास प्राधिकरण उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र द्वारा पूर्व में जारी किये तथा भविष्य में जारी किये जाने वाले रेगुलेशन एवं निर्देशों तथा इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट एक में उल्लिखित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होंगे । इस प्रतिवेदन के जोनिंग अध्याय में

उल्लिखित तल क्षेत्र अनुपात (एफ० ए० आर०) विकास प्राधिकरण की स्वीकृति से अनुमन्य भू-उपयोगों में लागू माना जायेगा जबकि परिशिष्ट-1 में उल्लिखित तलक्षेत्र अनुपात सामान्य रूप में अनुमन्य भू-उपयोगों के सन्दर्भ में मान्य होगा। ऐसे विशेष निर्माण जिनके सम्बन्ध में उपरोक्त रेगुलेशन/निर्देश/मार्ग दर्शक सिद्धान्त स्पष्ट नहीं है, की स्वीकृति विकास प्राधिकरण उन्नाव शुक्लागंज विकास क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मामले पर पृथक-पृथक रूप से विचारोपरान्त उनके गुण-दोषों के आधार पर दी जा सकेगी।

5- पेट्रोल/डिजल फिलिंग स्टेशन 24.0 मी० से कम चौड़े मार्ग पर अनुमन्य नहीं होगा।

6- एल० पी० गैस सिलेण्डर के गोदाम/भण्डार हेतु क्षेत्र की स्वीकृति परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी।

7- फार्म हाउस जिसमें संतरियों के आवास, जानवरों के शेड तथा कुक्कुट पालन शेड सम्मिलित हो सकते हैं की स्वीकृति अनुमन्य भू-उपयोग के रूप में इस प्रतिबन्ध के साथ हो सकेगी कि संबंधित भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर से कम न हो और फार्म हाउस का क्षेत्रफल अधिकतम 200 वर्ग मी० तक ही हो।

8- भू-राजस्व अभिलेख/मानचित्र में अंकित ग्रामीण आबादी के चतुर्दिक 60 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में आवासीय निर्माण नियमानुसार होने पर अनुमन्य हो सकेंगे।

परिशिष्ट-1

एल० पी० गैस सिलेण्डर गोदाम

एल० पी० गैस सिलेण्डर के गोदाम हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जायेगी :—

- 1- स्वीकृत स्थल का प्रयोग केवल एल० पी० गैस सिलेण्डरों के भण्डारण के लिए ही होगा।
- 2- एल० पी० गैस सिलेण्डरों के भण्डारण हेतु भवन का निर्माण उपयुक्त अज्वलनशील पदार्थों से किया जायेगा।
- 3- गोदाम के शेडों की किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान, मार्ग अथवा संलग्न भूमि (जिस पर निर्माण किया जा सके) से दूरियां निम्नवत् होगी :—

तालिका संख्या—1

क्रम सं०	सिलेण्डरों में एल० पी० गैस की मात्रा [किलोग्राम]	न्यूनतम दूरी [मीटर]
1-	0-100	—
2-	101-1000	3
3-	1001-4000	5
4-	4001-8000	7
5-	8001-12000	9
6-	12001-30000	12
7-	30000-से अधिक	15

टिप्पणी :-

मुख्य नियंत्रक विस्फोटक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित दूरियां कम भी की जा सकती है जिस पर कि :-

- [1] स्क्रीन वाल का या अन्य कोई प्रावधान किया गया है या
- [2] विशेष परिस्थितियों में मुख्य नियंत्रक [विस्फोटक] की राय में यदि औचित्यपूर्ण हो।

4- क्योंकि एल० पी० गैस सिलेण्डरों का मुख्यतया घरेलू उपयोग होता है अतः उनके भण्डारण को आवासीय क्षेत्रों में अनुमन्य किया जा सकता है यदि भण्डारण विस्फोटक नियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 1981 की शर्तों की अनुसार हो।

तालिका संख्या—2

क्र०सं०	प्लॉट का आकार [वर्ग मीटर]	सामने [मीटर]	पीछे [मीटर]	बायें बगल [मीटर]	दायें बगल [मीटर]
1-	300-350	4.0	2.5	2.0	2.5
2-	351-400	5.0	3.0	2.5	2.5
3-	401-450	5.0	3.0	2.5	3.0
4-	451-500	5.0	3.0	2.5	3.0
5-	501-550	5.5	3.0	2.5	4.0
6-	551-1000	6.0	4.5	4.5	4.5
7-	1001-5000	9.0	4.5	4.5	4.5
8-	5001-30000	9.0	9.0	4.5	4.5
9-	30,000-से अधिक	15.0	15.0	15.0	15.0

टिप्पणी :-

इसके अतिरिक्त महायोजना में क्षेत्र विशेष के लिए निर्धारित मानक के अनुसार न्यूनतम खुले क्षेत्र का प्रावधान करना भी आवश्यक होगा।

6- एल० पी० गैस सिलेण्डर भण्डार के लिए तल क्षेत्र अनुपात [एफ० ए० आर०] निम्न सारिणी के अनुसार होगा।

तालिका संख्या—3

क्रम सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	तलक्षेत्रानुपात (अ)	(ब)
1-	300 — 2000	0.45	0.50
2-	2001 — 12000	0.40	0.45
3-	12001 — 28000	0.30	0.40
4-	28000 से अधिक	0.25	0.30

- टिप्पणी : (अ) वर्तमान निर्मित क्षेत्र के लिए ।
(ब) नवीन विकसित/विकासशील तथा अविकसित क्षेत्रों के लिए ।

7—एल० पी० गैस भण्डार की स्वीकृति 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर नहीं दी जायेगी । परन्तु विशेष परिस्थितियों में यह प्रतिबन्ध शिथिलनीय हो सकता है और नियंत्रक प्राधिकारी की स्वीकृति से 12 मीटर चौड़े मार्ग पर भी उक्त की अनुमति दी जा सकेगी ।

8—भण्डार के शेडों में उपयुक्त रोशनदानों का प्रावधान आवश्यक है

9—भण्डार में सिलेण्डरों की पंक्तियों (स्टेक्स) एवं पंक्तियों तथा दीवार के मध्य कम से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए ।

10—300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एल० पी० गैस सिलेण्डर भण्डार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । यह क्षेत्रफल महायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत रास्ते हेतु छोड़ी गयी भूमि के अतिरिक्त होगा ।

परिशिष्ट-2

कृषि क्षेत्र में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैराज लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

1—महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैराज से सम्बन्धित मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दी गयी संस्तुतियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर अनुमन्य उपयोग के रूप में परिभाषित किया जायेगा ।

2—कृषि क्षेत्र में ग्रामीण आबादी से कम से कम 500 मीटर की दूरी के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, कम सर्विस गैराज स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4—कृषि क्षेत्र में जो पेट्रोल/डीजल स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैराज, स्वीकृत किया जायेगा उसके अतिरिक्त किसी प्रकार के वाणिज्यिक अथवा वाहनों के मरम्मत से सम्बन्धित गैराज आदि की स्थापना की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

5—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैराज से सम्बन्धित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल तथा माप निम्नवत होगा ।

	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल
1—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन	30.48 मीटर	16.76 मीटर	510.84 वर्ग मी०
2—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम सर्विस गैराज	36.57 मी०	30.43 मी०	1112.82 वर्ग मी०

6—प्रत्येक पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस गैराज पर एक ही समय एक ट्रक, दो कार तथा दो स्कूटर को पार्क करने हेतु न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्गमीटर होगा ।

7—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन कम-सर्विस गैराज की अनुमति महायोजना मार्गों के क्रॉसिंग/टी जंक्शन से 30 मीटर की दूरी के अन्तर्गत नहीं दी जायेगी ।

8—रोड आइलैण्ड के मध्य पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस गैराज की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

- 9—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस गैराज क्षेत्र के अन्दर व बाहर वाहनों के सुविधानुसार प्रवेश एवं निकास हेतु न्यूनतम फ्रान्टेज 30 मीटर होगा ।
- 10—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस गैराज के भूखण्ड के निकट किसी प्रकार का ऐसा अवरोध नहीं होगा जिससे कि क्षेत्रीय मार्ग पर वाहनों का आवागमन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाले वाहनों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगत न हो सके ।
- 11—पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम सर्विस गैराज में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर होगी ।
- 12—क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस गैराज के मध्य बफर स्ट्रिप का प्रावधान आवश्यक है जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी हो ।
- 13—अग्निशमन उपविधि में वर्णित प्रावधान लागू होंगे ।
- 14—अन्य प्रावधान जो भारतीय पेट्रोलियम तथा कार्बाइड अधिनियम द्वारा वांछित हो, लागू होंगे ।

परिशिष्ट संख्या-3

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-2

संख्या 4347/31-2-97 डी ए-81

लखनऊ 7 दिसम्बर 1983

अधिसूचना

प० आ०-534

चूंकि राज्य सरकार की राय में उन्नाव जिले के निम्नलिखित उन्नाव-शुक्लागंज क्षेत्र का सुनियोजित रूप में विकास करना आवश्यक है ।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम), 1974 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 (द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1873) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को उन्नाव-शुक्लागंज विकास क्षेत्र घोषित करते हैं :-

क्षेत्र

छावनी क्षेत्र और नौ सेना, स्थल सेना और वायु सेना प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन उसके द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गयी भूमि को छोड़कर नगरपालिका बोर्ड, उन्नाव की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और उसके चारों ओर स्थित उन्नाव जिले की तहसील उन्नाव के निम्नलिखित 44 ग्रामों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र ।

क्रम सं०	ग्राम का नाम	क्रम सं०	ग्राम का नाम	क्रम सं०	ग्राम का नाम
1	मुर्तजानगर	16	कडेरफतारी	31	खैराहा अहतमाली
2	नुर्कमानपुर	17	कर्मा विज्ञलामऊ	32	खैराहा गैर अहतमाली
3	गजौली	18	रजना खेड़ा	33	सरैया
4	चांदपुर	19	कटरी पीपर खेड़ा	34	देवारा खुर्द
5	इब्राहीमाबाद	20	मझरी पीपर खेड़ा अहतमाली	35	रब्बाजगीपुर
6	गदनखेड़ा	21	मझरी पीपर खेड़ा गैर अहतमाली	36	सलेमपुर
7	उन्नाव [ग्रामीण]	22	पोरी	37	चौरा
8	शेखपुर	23	मह देवना	38	फतेहपुर
9	सिंगरोसी	24	घोंरी रोतापुर	39	बनकट
10	अकरमपुर	25	हैबरपुर	40	लोहार खेड़ा
11	गलगलहा	26	सहिजनी	41	सैयद अब्बासपुर
12	मगरवारा	27	फतेहपुर	42	वाजिदपुर उर्फ राजेपुर
13	मसवासी	28	कटहल नरायनपुर	43	टीकरगढ़ी
14	शेखपुर नरी भरी	29	शुक्लागंज ^{नेतुन}	44	झंझरी
15	बन्धा "बन्धर"	30	गंगाघाट		

आज्ञा से,
रबी शंकर माथुर
सचिव ।